ई-अन्नदाता कैंटीन स्टोर विभाग संचालन, प्रबंधन, आवंटन एवं किसान सेवा विस्तृत मार्गदर्शिका

(डिजिटल क्विक कॉमर्स एवं फिजिकल कैंटीन मॉडल)

संचालक-ई-अन्नदाता वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया

प्रस्तावना: भारत कृषि प्रधान राष्ट्र है तथा देश की अर्थव्यवस्था, खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण रोजगार एवं सामाजिक स्थिरता का मूल आधार किसान हैं। देश की लगभग 55% से अधिक जनसंख्या प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कृषि एवं कृषि आधारित गतिविधियों पर निर्भर है। किसान केवल खाद्यान्न उत्पादन करने वाला व्यक्ति नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है।

देश के किसानों को वर्षों से कृषि सामग्री की उपलब्धता, उचित मूल्य, गुणवत्तापूर्ण उत्पाद, सरकारी योजनाओं तक पहुंच, डिजिटल सेवाओं की कमी, सब्सिडी में देरी तथा बिचौलिया व्यवस्था जैसी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक संगठित वितरण प्रणाली का अभाव किसानों की आर्थिक प्रगति में बाधा उत्पन्न करता है।

इन्हीं समस्याओं के समाधान एवं किसानों को सम्मानजनक, आधुनिक, पारदर्शी एवं तकनीकी रूप से सक्षम सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु ई-अन्नदाता वेलफेयर एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड द्वारा आर्मी कैंटीन मॉडल के तर्ज पर **"ई-अन्नदाता कैंटीन स्टोर योजना"**प्रारंभ की गयी है।

यह योजना भारत की प्रथम किसान आधारित कैंटीन प्रणाली है, जो आर्मी कैंटीन मॉडल, डिजिटल क्विक कॉमर्स मॉडल, वेयरहाउस प्रणाली, किसान सेवा केंद्र मॉडल एवं डीबीटी आधारित पारदर्शी सब्सिडी व्यवस्था का समन्वित स्वरूप है।इस योजना के अंतर्गत किसानों को कृषि एवं घरेलू उपयोग की आवश्यक सामग्री, कृषि यंत्र, खाद, बीज, पशुपालन सामग्री, सरकारी व गैर-सरकारी योजनाओं का लाभ, डिजिटल सेवाएं एवं अन्य सुविधाएं उनके नजदीकी क्षेत्र में उपलब्ध कराई जाती है।

यह योजना भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, नीति आयोग, उर्वरक मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, सहकारिता विभाग एवं अन्य संबंधित विभागों के संज्ञान में किसानों के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान की भावना के साथ संचालित की जा रही है।इस योजना का उद्देश्य केवल व्यापारिक गतिविधि संचालित करना नहीं बल्कि किसानों को सम्मान, सुविधा, पारदर्शिता एवं आत्मनिर्भरता प्रदान करना है।

भाग-1

अध्याय 1

योजना की पृष्ठभूमि, आवश्यकता एवं राष्ट्रीय महत्व: भारत विश्व का सबसे बड़ा कृषि उत्पादक देशों में से एक है, परंतु इसके बावजूद किसानों को कृषि सामग्री की उपलब्धता, उचित मूल्य, तकनीकी जानकारी एवं सरकारी योजनाओं तक पहुंच के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में संगठित एवं आधुनिक वितरण प्रणाली की कमी के कारण किसानों को कई बार बाजार मूल्य से अधिक दर पर सामग्री खरीदनी पड़ती है।ग्रामीण क्षेत्रों में नकली बीज, अमानक खाद एवं निम्न गुणवत्ता वाले कृषि उत्पादों की समस्या भी लंबे समय से बनी हुई है। इसके अतिरिक्त किसानों को सरकारी योजनाओं के लाभ प्राप्त करने हेतु विभिन्न कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिससे समय एवं धन दोनों की हानि होती है।

देश में आधुनिक ई-कॉमर्स एवं क्विक कॉमर्स प्रणाली तेजी से विकसित हुई है, लेकिन ग्रामीण भारत एवं किसानों तक इन सुविधाओं की पहुंच सीमित रही है। किसानों के लिए विशेष रूप से कोई राष्ट्रीय स्तर की कैंटीन आधारित वितरण प्रणाली उपलब्ध नहीं रही।इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुएआर्मी कैंटीन मॉडल के तर्ज पर (80% तक सब्सिडी) **"ई-अन्नदाता कैंटीन स्टोर कार्यक्रम"**की अवधारणा विकसित की गई है। यह कार्यक्रम किसानों को एकीकृत डिजिटल एवं फिजिकल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगी, जहां कृषि,

घरेलू एवं सरकारी सेवाओं का समन्वित लाभ प्राप्त किया जा सकेगा।यह योजना केवल व्यापारिक मॉडल नहीं बल्कि ग्रामीण विकास, किसान सशक्तिकरण, रोजगार सृजन एवं विकसित भारत 2047 मिशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

अध्याय-2

योजना की मूल अवधारणा एवं कार्य प्रणाली: ई-अन्नदाता कैंटीन स्टोर कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किसानों को एक ही प्लेटफॉर्म पर उनकी आवश्यकता की सभी सेवाएं एवं उत्पाद उपलब्ध कराना है।यह योजना दो स्तरों पर कार्य करती है :

1. **डिजिटल ई-अन्नदाता कैंटीन स्टोर:** डिजिटल कैंटीन ब्लॉक स्तर पर स्थापित किए जाते हैं तथा आधुनिक क्विक कॉमर्स मॉडल पर संचालित होंगे।इस प्रणाली के माध्यम से किसान मोबाइल ऐप ववेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते है। किसानों को आवश्यक उत्पाद उनके नजदीकी क्षेत्र से शीघ्र उपलब्ध कराए जाते है ।डिजिटल कैंटीन की मुख्य विशेषता यह होगी कि किसान बिना बाजार जाए अपने मोबाइल से ही कृषि एवं घरेलू सामग्री खरीद सकते है।
2. **फिजिकल ई-अन्नदाता कैंटीन स्टोर:**फिजिकल कैंटीन जिला स्तर पर बड़े शोरूम एवं वेयरहाउस मॉडल पर स्थापित किए जाते हैं ।यहां किसान प्रत्यक्ष रूप से जाकर उत्पाद देख सकते है, तकनीकी सलाह प्राप्त कर सकते है तथा अपनी आवश्यकता के अनुसार सामग्री खरीद सकते है।फिजिकल कैंटीन बड़े स्तर के स्टॉक प्रबंधन एवं वितरण केंद्र के रूप में भी कार्य करते हैं।

अध्याय-3

योजना के उद्देश्य एवं दूरदर्शी लक्ष्य:ई-अन्नदाता कैंटीन स्टोर कार्यक्रम का उद्देश्य केवल उत्पाद विक्रय करना नहीं बल्कि किसानों के जीवन स्तर में समग्र सुधार लाना है।इस योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- किसानों को उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण एवं प्रमाणित उत्पाद उपलब्ध कराना।
- किसानों को नकली एवं अमानक उत्पादों से बचाना।
- किसानों को आधुनिक डिजिटल कॉमर्स प्रणाली से जोड़ना।
- कृषि क्षेत्र में पारदर्शिता एवं संगठित वितरण व्यवस्था विकसित करना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर बढ़ाना।
- किसानों को सरकारी एवं गैर-सरकारी योजनाओं का लाभ नजदीकी क्षेत्र में उपलब्ध कराना।
- किसानों को डीबीटी आधारित पारदर्शी सब्सिडी सुविधा उपलब्ध कराना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल एवं तकनीकी सशक्तिकरण बढ़ाना।
- किसानों में सामाजिक सम्मान एवं गौरव की भावना विकसित करना।
- विकसित भारत 2047 मिशन में कृषि क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना।
- इस कार्यक्रम का दीर्घकालिक उद्देश्य प्रत्येक जिले एवं ब्लॉक स्तर पर किसानों के लिए संगठित सेवा एवं वितरण नेटवर्क स्थापित करना है।

अध्याय-4

ई-अन्नदाता की परिभाषा एवं किसान पहचान व्यवस्था:इस कार्यक्रम के अंतर्गत किसान को "अन्नदाता" के रूप में संबोधित किया गया है।अन्नदाता वह व्यक्ति होगा जो कृषिअथवा कृषि आधारित किसी भी गतिविधि से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हो।कार्यक्रम के अंतर्गत किसानों की पहचान **"ई-अन्नदाता कार्ड"**के माध्यम से की जाती हैं। यह कार्ड किसानों के लिए यूनिक डिजिटल पहचान प्रणाली के रूप में कार्य करता है।

ई-अन्नदाता कार्ड की विशेषताएं:

- पूर्णतः निःशुल्क
- केवल ऑनलाइन आवेदन सुविधा
- केयर सेंटर से निःशुल्क निर्माण
- किसान सत्यापन प्रणाली
- डीबीटी लाभ हेतु उपयोग
- योजनाओं का एकीकृत लाभ
- डिजिटल रिकॉर्ड आधारित प्रणाली

कार्ड से मिलने वाले लाभ

- कैंटीन से विशेष दरों पर खरीदारी
- डीबीटी आधारित सब्सिडी
- सरकारी योजनाओं की जानकारी
- कृषि सेवाओं का लाभ
- डिजिटल रिकॉर्ड सुविधा
- विशेष ऑफर एवं किसान लाभ योजनाएं

अध्याय-5

केयर सेंटर प्रणाली एवं किसान सेवा नेटवर्क:ई-अन्नदाता योजना के अंतर्गत प्रत्येक कैंटीन संचालक को **"ई-अन्नदाता केयर सेंटर"**प्रदान किया जाता हैं ।केयर सेंटर किसानों के लिए बहुउद्देशीय सेवा एवं सहायता केंद्र के रूप में कार्य करते हैं ।इन केंद्रों का मुख्य उद्देश्य किसानों को सरकारी व गैर सरकारी, डिजिटल एवं कृषि सेवाएं उनके नजदीकी क्षेत्र में उपलब्ध कराना है।

केयर सेंटर की प्रमुख सेवाएं-

- ई-अन्नदाता कार्ड निर्माण
- किसान पंजीकरण
- सरकारी व गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी
- ऑनलाइन आवेदन सुविधा
- बैंकिंग एवं बीमा सहायता
- कृषि परामर्श
- रोजगार एवं प्रशिक्षण जानकारी
- डिजिटल सेवाएं
- दस्तावेज सहायता
- सब्सिडी स्थिति जांच

केयर सेंटर का सामाजिक महत्व: ग्रामीण क्षेत्रों में किसान अक्सर छोटी-छोटी सेवाओं हेतु शहरों एवं सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाते हैं। इससे समय, धन एवं श्रम की हानि होती है।केयर सेंटर प्रणाली किसानों को उनके गांव अथवा नजदीकी क्षेत्र में ही सभी सेवाएं उपलब्ध कराती है । इससे ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल जागरूकता एवं आत्मनिर्भरता भी बढ़ता हैं ।

केयर सेंटर से संभावित आय: कैंटीन संचालक केयर सेंटर के माध्यम से विभिन्न सेवाओं द्वारा अतिरिक्त आय अर्जित करते हैं। संचालन क्षमता एवं सेवा विस्तार के आधार पर वार्षिक आय ₹96 लाख तक संभावित है।

अध्याय-6

डिजिटल कैंटीन मॉडल की विस्तृत व्यवस्था:डिजिटल ई-अन्नदाता कैंटीन आधुनिक क्विक कॉमर्स प्रणाली पर आधारित हैं।यह मॉडल किसानों को तेज, पारदर्शी एवं डिजिटल सुविधा प्रदान करता हैं। किसान मोबाइल ऐप, वेबसाइट के माध्यम से ऑर्डर कर सकते हैं।

डिजिटल कैंटीन की मुख्य विशेषताएं-

- मोबाइल ऐप आधारित ऑर्डर
- वेबसाइट आधारित खरीद प्रणाली
- घर तक डिलीवरी सुविधा
- डिजिटल भुगतान
- लाइव स्टॉक ट्रैकिंग
- ऑनलाइन बिलिंग

किसान प्रोफाइल प्रबंधन

- डिजिटल सब्सिडी रिकॉर्ड
- डिजिटल कैंटीन हेतु स्थान आवश्यकता
- न्यूनतम क्षेत्रफल : 3000 वर्गफीट (ग्राउंड फ्लोर कवर्ड एरिया)
- भूमि 35 फीट चौड़ी सड़क पर
- पर्याप्त स्टोरेज सुविधा
- डिलीवरी व्यवस्था
- कंप्यूटर एवं इंटरनेट सुविधा

निवेश: डिजिटल कैंटीन हेतु न्यूनतम ₹35 लाख का निवेश अनुमानित है।

अध्याय-7

फिजिकल कैंटीन मॉडल की विस्तृत व्यवस्था:फिजिकल ई-अन्नदाता कैंटीन स्टोर जिला स्तर पर बड़े शोरूम एवं वेयरहाउस मॉडल पर स्थापित किया जाता है।ये कैंटीन बड़े वितरण केंद्र एवं किसान सुविधा केंद्र के रूप में कार्य करते है।

- **प्रमुख विशेषताएं:**
- विशाल शोरूम
- वेयरहाउस सुविधा
- कृषि मशीनरी डिस्प्ले
- ट्रैक्टर उपकरण
- कृषि परामर्श केंद्र
- पार्किंग सुविधा
- लोडिंग एवं अनलोडिंग सुविधा

- मल्टी ब्रांड उत्पाद उपलब्धता

भूमि आवश्यकता

- न्यूनतम क्षेत्रफल: छोटे शहर के लिए 1,00,000 वर्ग फ़ीट और बड़े शहर के लिए 2,70,000 वर्ग फ़ीट (कवर्ड ग्राउंड फ़्लोर एरिया)
- अतिरिक्त पार्किंग क्षेत्र
- वेयरहाउस क्षेत्र

निवेश:फिजिकल कैंटीन हेतु न्यूनतम ₹5 करोड़ का निवेश अनुमानित है।

अध्याय-8

आवेदन प्रक्रिया एवं पंजीकरण प्रणाली: ई-अन्नदाता कैंटीन हेतु आवेदन प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन होती हैं ।आवेदक को निर्धारित पोर्टल पर आवेदन करना होता है तथा सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंते है।

- आवेदन प्रक्रिया
- ऑनलाइन पंजीकरण
- दस्तावेज अपलोड
- आवेदन शुल्क जमा
- प्रारंभिक सत्यापन
- स्थल निरीक्षण
- तकनीकी मूल्यांकन
- वित्तीय क्षमता परीक्षण
- अंतिम स्वीकृति
- आवंटन पत्र जारी

आवश्यक दस्तावेज

- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- जीएसटी प्रमाणपत्र
- भूमि दस्तावेज
- बैंक विवरण
- पासपोर्ट फोटो
- निवेश क्षमता प्रमाण

अध्याय-9

आवेदन शुल्क, फाइल चार्ज एवं वित्तीय नीति:ई-अन्नदाता कैंटीन में आवेदन करने हेतु निर्धारित शुल्क जमा करना अनिवार्य होता हैं।

शुल्क संरचना:

- डिजिटलआवेदन शुल्क: ₹1,00,000/-
- फिजिकल आवेदन शुल्क: ₹5,00,000/-

- जीएसटी: 18 प्रतिशत अतिरिक्त
- फाइल चार्ज: निर्धारित अनुसार

महत्वपूर्ण नियम:

- उक्त शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाता हैं ।
- यह शुल्क केवल गंभीर एवं सक्षम आवेदकों के चयन हेतु निर्धारित किया जाता है।

अध्याय-10

कैंटीन आवंटन नीति एवं प्राथमिकता व्यवस्था: प्रत्येक ब्लॉक में वर्तमान चरण में केवल एक डिजिटल कैंटीन आवंटित की जाती हैं ।आवंटन **"पहले आवेदन-पहले आवंटन"**के आधार पर किया जाता हैं ।यदि प्रथम आवेदक निर्धारित समयावधि में कैंटीन प्रारंभ नहीं करता है तो अगली वरीयता वाले आवेदक को अवसर दिया जाता हैं ।

समय सीमा: पंजीकरण के बाद निर्धारित समय के भीतर कैंटीन प्रारंभ करना अनिवार्य होता हैं। यदि निर्धारित अवधि में संचालन प्रारंभ नहीं किया जाता है, तो आवंटन निरस्त कर दिया जाता हैं तथा उस स्थान हेतु अन्य आवेदन/आवेदक को मान्य कर दिया जाता हैं ।

अध्याय-11

संचालन एवं प्रबंधन प्रणाली की विस्तृत व्यवस्था: ई-अन्नदाता कैंटीन स्टोर कार्यक्रम पूर्णतः डिजिटल व फिजिकल,पारदर्शी एवं व्यवस्थित संचालन प्रणाली पर आधारित होती हैं । कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किसानों को समयबद्ध, सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराना है। इसी उद्देश्य से संपूर्ण संचालन प्रणाली को ऑनलाइन वेब एप्लिकेशन, मोबाइल ऐप एवं केंद्रीकृत मॉनिटरिंग सिस्टम से जोड़ा जाता हैं ।प्रत्येक कैंटीन संचालक को एक यूनिक लॉगिन आईडी एवं डिजिटल संचालन पैनल प्रदान किया जाता हैं , जिसके माध्यम से वह स्टॉक प्रबंधन, बिक्री, ऑर्डर, भुगतान, सब्सिडी रिकॉर्ड, ग्राहक विवरण एवं अन्य प्रशासनिक गतिविधियों का संचालन कर सकता हैं ।

संचालन प्रणाली की मुख्य विशेषताएं:

- संपूर्ण डिजिटल रिकॉर्ड आधारित व्यवस्था
- केंद्रीकृत निगरानी प्रणाली
- लाइव स्टॉक ट्रैकिंग
- ऑनलाइन बिक्री प्रबंधन
- डिजिटल भुगतान प्रणाली
- किसान पहचान आधारित सेवा
- रिपोर्टिंग एवं ऑडिट प्रणाली
- पारदर्शी आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन

कैंटीन संचालक की जिम्मेदारियां: कैंटीन संचालक योजना के स्थानीय संचालन हेतु उत्तरदायी होता हैं ।उसे निम्नलिखित कार्य सुनिश्चित करने होंगे:

- अधिकतम गुणवत्तापूर्ण उत्पाद रखना
- किसानों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करना
- स्टॉक का उचित रखरखाव

- डिजिटल रिकॉर्ड अद्यतन रखना
- ई-अन्नदाताकेनिर्देशों का पालन करना
- समय पर रिपोर्ट जमा करना
- शिकायतों का निस्तारण करना
- डिजिटल रिकॉर्ड प्रबंधन

प्रत्येक खरीद एवं बिक्री का रिकॉर्ड ऑनलाइन सुरक्षित रखा जाएगा।इसमें निम्न विवरण शामिल होंगे:

- किसान का नाम एवं आईडी
- उत्पाद विवरण
- मात्रा एवं मूल्य
- सब्सिडी राशि
- भुगतान स्थिति
- डिलीवरी स्थिति

इस प्रणाली से किसी भी प्रकार की अनियमितता की संभावना न्यूनतम होगी।

अध्याय-12

आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain) एवं स्टॉक प्रबंधन प्रणाली:ई-अन्नदाता कैंटीन कार्यक्रम के अंतर्गत उत्पादों की आपूर्ति व्यवस्थित एवं केंद्रीकृत प्रणाली के माध्यम से की जाती हैं ।इस योजना का उद्देश्य किसानों को समय पर गुणवत्तापूर्ण सामग्री उपलब्ध कराना तथा नकली एवं अमानक उत्पादों की रोकथाम करना है।

- आपूर्ति प्रणाली की संरचना
- निर्माता/अधिकृत विक्रेता
- केंद्रीय वेयरहाउस
- जिला स्तरीय फिजिकल कैंटीन
- ब्लॉक स्तरीय डिजिटल कैंटीन
- किसान उपभोक्ता

स्टॉक प्रबंधन प्रणाली: सभी कैंटीनों का स्टॉक डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ा रहता हैं ।कैंटीन संचालक अपने पोर्टल पर निम्न जानकारी देख सकते है :

- उपलब्ध स्टॉक
- कम स्टॉक अलर्ट
- ऑर्डर स्थिति
- डिलीवरी स्थिति
- बिक्री रिपोर्ट
- स्टॉक वैल्यू

स्टॉक नियंत्रण के उद्देश्य:

- उत्पादों की समय पर उपलब्धता
- अनावश्यक स्टॉक हानि रोकना
- पारदर्शिता बनाए रखना
- किसानों को समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करना

वेयरहाउस प्रबंधन: फिजिकल कैंटीन एवं बड़े वितरण केंद्रों में वेयरहाउस स्थापित किए जाते हैं।वेयरहाउस में निम्न सुविधाएं अनिवार्य होंती हैं :

- सुरक्षित स्टोरेज
- अग्निशमन व्यवस्था
- तापमान नियंत्रण (जहां आवश्यक हो)
- सीसीटीवी निगरानी
- डिजिटल इन्वेंटरी प्रबंधन

अध्याय-13

डीबीटी (Direct Benefit Transfer) एवं सब्सिडी प्रबंधन प्रणाली:ई-अन्नदाता कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य किसानों को पारदर्शी एवं समयबद्ध सब्सिडी सुविधा उपलब्ध कराना है।योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली सब्सिडी सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी प्रणाली के माध्यम से भेजी जाती हैं।

डीबीटी प्रणाली की मुख्य विशेषताएं-

- किसान के बैंक खाते में सीधा भुगतान
- मध्यस्थों की समाप्ति
- डिजिटल सत्यापन
- पारदर्शी भुगतान रिकॉर्ड
- समयबद्ध लाभ वितरण
- सब्सिडी वितरण की प्रक्रिया
- किसान द्वारा खरीदारी

ई-अन्नदाता कार्ड सत्यापन

- पात्रता जांच
- डिजिटल रिकॉर्ड निर्माण
- डीबीटी अनुमोदन
- 7 से 15 कार्यदिवस के भीतर राशि हस्तांतरण

किसानों को होने वाले लाभ

- समय पर सब्सिडी प्राप्ति
- भ्रष्टाचार में कमी
- पारदर्शी प्रक्रिया
- डिजिटल ट्रैकिंग सुविधा

- बैंकिंग एवं सत्यापन प्रणाली

सभी किसानों का बैंक खाता एवं आधार विवरण सत्यापित होना आवश्यक होता हैं।

अध्याय-14

उत्पाद श्रेणियां एवं अनुमोदित सामग्री व्यवस्था: ई-अन्नदाता कैंटीन में केवल गुणवत्तापूर्ण, प्रमाणित एवं सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उत्पाद ही उपलब्ध कराए जाते हैं।इस योजना का उद्देश्य किसानों को नकली एवं निम्न गुणवत्ता वाले उत्पादों से सुरक्षा प्रदान करना है।

उपलब्ध उत्पाद श्रेणियां:

- कृषि उत्पाद
- खाद एवं उर्वरक
- बीज
- जैविक खाद
- कृषि दवाइयां
- माइक्रो न्यूट्रिएंट
- कृषि मशीनरी
- पावर टिलर
- स्प्रे मशीन
- कृषि उपकरण
- ड्रिप सिस्टम
- सिंचाई पाइप
- पशु आहार
- डेयरी उपकरण
- घरेलू सामग्री
- दैनिक उपयोग उत्पाद
- खाद्य सामग्री
- स्वच्छता सामग्री
- उपभोक्ता उत्पाद
- आधुनिक कृषि तकनीक
- सोलर उपकरण
- स्मार्ट सिंचाई उपकरण
- डिजिटल कृषि यंत्र
- इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद

उत्पाद चयन नीति:केवल उन्हीं उत्पादों को अनुमति दी जाती हैं जो:

- सरकार द्वारा प्रमाणित हों
- निर्धारित गुणवत्ता मानकों का पालन करते हों

- किसानों के हित में हों
- उचित मूल्य पर उपलब्ध हों

अध्याय-15

गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण प्रणाली:ई-अन्नदाता कार्यक्रम किसानों को गुणवत्तापूर्ण सामग्री उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इस उद्देश्य से प्रत्येक उत्पाद एवं आपूर्ति प्रणाली पर नियमित निगरानी एवं निरीक्षण किया जाता हैं।

गुणवत्ता नियंत्रण के प्रमुख उद्देश्य:

- नकली उत्पादों की रोकथाम
- किसानों को सुरक्षित सामग्री उपलब्ध कराना
- सरकार के मानकों का पालन सुनिश्चित करना
- ब्रांड गुणवत्ता बनाए रखना
- आवश्यक प्रमाणपत्र

उत्पाद श्रेणी के अनुसार निम्न प्रमाणपत्र आवश्यक होते हैं:

- FSSAI
- BIS
- ISI
- GMP
- ISO
- MSME मानक
- लैब परीक्षण रिपोर्ट

निरीक्षण प्रणाली: ई-अन्नदाता समय-समय परस्टॉक निरीक्षण,गुणवत्ता जांच, दस्तावेज सत्यापन, बिक्री रिकॉर्ड निरीक्षणकर सकती है।

नियम उल्लंघन की स्थिति में कार्यवाही: यदि किसी कैंटीन में निम्न गुणवत्ता अथवा नकली उत्पाद पाए जाते हैं तो:

- चेतावनी जारी की जा सकती है
- जुर्माना लगाया जा सकता है
- स्टॉक जब्त किया जा सकता है
- पंजीकरण निरस्त किया जा सकता है

अध्याय-16

वित्तीय प्रबंधन, लाभ प्रणाली एवं मार्जिन नीति:ई-अन्नदाता कैंटीन कार्यक्रम किसानों को लाभ पहुंचाने के साथ-साथ कैंटीन संचालकों के लिए भी स्थायी एवं व्यवस्थित आय मॉडल प्रदान करती है।

मार्जिन नीति: कैंटीन संचालकों को विभिन्न उत्पादों की बिक्री पर 30% मार्जिन (मार्जिन के अनुसार अधिक और कम हो सकती हैं) प्रदान की जाती हैं।मार्जिन उत्पाद श्रेणी, ब्रांड, मात्रा एवं बाजार स्थिति के अनुसार निर्धारित होती हैं।कुछ परिस्थितियों में अतिरिक्त प्रोत्साहन भी संभव होता हैं

- आय के अन्य स्रोत
- केयर सेंटर सेवाएं
- डिजिटल सेवाएं
- सरकारी योजना सुविधा
- कृषि परामर्श सेवाएं
- वित्तीय पारदर्शिता

सभी भुगतान एवं लेन-देन डिजिटल माध्यम से किए जाते हैं। इससे:

- पारदर्शिता बनी रहती हैं
- कर अनुपालन आसान होता हैं
- वित्तीय रिकॉर्ड सुरक्षित रहता हैं

लेखा प्रणाली: कैंटीन संचालकों को नियमित रूप से बिक्री रिपोर्ट, लाभ रिपोर्ट,कर विवरणस्टॉक रिपोर्टतैयार करनी होती हैं।

अध्याय-17

डिजिटल प्लेटफॉर्म, मोबाइल एप्लीकेशन एवं तकनीकी प्रणाली: ई-अन्नदाता कैंटीन स्टोर कार्यक्रम आधुनिक डिजिटल तकनीक एवं केंद्रीकृत प्रबंधन प्रणाली पर आधारित है। योजना का उद्देश्य किसानों को सरल, सुरक्षित, तेज एवं पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराना है। इसी उद्देश्य से ई-अन्नदाता कैंटीन के लिए एकीकृत मोबाइल एप्लीकेशन, वेब पोर्टल एवं डिजिटल प्रबंधन प्रणाली विकसित की गयी है, जिसके माध्यम से किसान, कैंटीन संचालक, केयर सेंटर एक ही प्लेटफॉर्म पर कार्य कर सकते हैं।

यह डिजिटल प्लेटफॉर्म केवल खरीद-बिक्री तक सीमित नहीं है बल्कि किसानों के लिए एक समग्र सेवा प्रणाली के रूप में विकसित किया गया है।

डिजिटल प्लेटफॉर्म की मुख्य विशेषताएं:

- ऑनलाइन ऑर्डर सुविधा
- लाइव स्टॉक जानकारी
- किसान पहचान सत्यापन
- डीबीटी स्थिति ट्रैकिंग
- डिजिटल भुगतान प्रणाली
- किसान प्रोफाइल प्रबंधन

शिकायत निवारण प्रणाली:

- केयर सेंटर एकीकरण
- रिपोर्टिंग एवं विश्लेषण प्रणाली
- बहुभाषीय उपयोग सुविधा

मोबाइल एप्लीकेशन की विशेषताएं: ई-अन्नदाता मोबाइल एप्लीकेशन किसानों एवं संचालकों दोनों के लिए उपयोगी होता है।

किसानों हेतु सुविधाएं:

- ऑनलाइन उत्पाद खरीद
- सब्सिडी स्थिति देखना

- ऑर्डर ट्रैकिंग
- सरकारी योजनाओं की जानकारी
- कृषि सलाह
- किसान प्रोफाइल प्रबंधन

संचालकों हेतु सुविधाएं:

- स्टॉक प्रबंधन
- बिक्री रिपोर्ट
- ऑर्डर प्रबंधन
- भुगतान स्थिति
- ग्राहक रिकॉर्ड
- डिजिटल बिलिंग
- डिजिटल सुरक्षा व्यवस्था

किसानों एवं संचालकों के डेटा की सुरक्षा हेतु आधुनिक साइबर सुरक्षा प्रणाली लागू की जाती हैं।इसमें:

- OTP आधारित लॉगिन
- सुरक्षित भुगतान प्रणाली
- डेटा एन्क्रिप्शन
- सर्वर सुरक्षा
- बैकअप प्रणालीशामिल होती है।

तकनीकी सहायता: संचालकों एवं किसानों के लिए तकनीकी सहायता हेल्पलाइन एवं सपोर्ट सिस्टम उपलब्ध कराया जाता हैं।

अध्याय-18

किसान सेवा, सामाजिक उत्तरदायित्व एवं जनकल्याण प्रणाली:ई-अन्नदाता कैंटीन कार्यक्रम केवल व्यापारिक व्यवस्था नहीं बल्कि किसान सम्मान एवं ग्रामीण विकास की व्यापक सामाजिक पहल है।इस योजना का उद्देश्य किसानों को आर्थिक लाभ के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा, सम्मान एवं सुविधा प्रदान करना है।

किसान सेवा का मूल उद्देश्य:

- किसानों को सम्मानजनक सेवाएं उपलब्ध कराना
- किसानों को सरकारी योजनाओं से जोड़ना
- किसानों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना
- ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक सुविधाएं पहुंचाना
- किसानों के जीवन स्तर में सुधार करना
- सामाजिक उत्तरदायित्व

ई-अन्नदाता कार्यक्रम ग्रामीण समाज के समग्र विकास हेतु कार्य करती हैं।इसके अंतर्गत:

- किसान जागरूकता अभियान

- कृषि प्रशिक्षण कार्यक्रम
- विकसित भारत, ई-अन्नदाता स्मार्ट फार्मिंग अभियान- 2047
- डिजिटल शिक्षा अभियान
- महिला किसान सशक्तिकरण
- युवा रोजगार कार्यक्रम
- ई अन्नदाता कार्ड सम्मानित पहचानअभियान (कर अभिमान तू है किसान)
- अन्नदाता कल्याण निधि योजना (सहयोग, सुरक्षा, समाधान, हर किसान के संग)
- अन्नदाता मार्ट (किसानों के लिए ऑनलाइन मार्केट प्लेस)
- ई अन्नदाता कैंटीन (80% तक सब्सिडी गुणवत्ता और बचत एक साथ)
- ई अन्नदाता जैविक एवं प्राकृतिक खेती व मिलेट्स संवर्धन अभियान (लागत कम उत्पादन अधिक आमदनी अत्यधिक)
- अन्नदाता आश्रित बेरोजगारी उन्मूलन अभियान (हर हाथ को काम हर किसान परिवार को सम्मान)
- ई अन्नदाता गरीबी उन्मूलन अभियान(अच्छ फसल, अच्छा दाम -गरीबी से अब होगा समाधान)
- ई अन्नदाता अद्वितीय चिकित्सीय परामर्श अभियान (अब बीमार नहीं रहेगा किसान द्वार पर ही होगा उनका उत्तम इलाज)
- अन्नदाता गौरवान्वित अनुभूति सम्मान अनुदान कोष अभियान -2047 (गौरवान्वित किसान -विकसित भारत)
- उद्यम भारत अभियान (हर घर उद्यम)
- उद्यमिनी (उद्यमी नारी -सशक्त नारी)
- ई अन्नदाता मंडी (फसल संवर्धन) अभियान (उचित दाम अत्यधिक लाभ)
- ई अन्नदाता सम्मान मेला (किसान की मेहनत मिले सम्मान-यही है ई अन्नदाता का अभियान)
- बैंकिंग कॉरस्पॉनडेंट सर्विस (बैंक की सुविधा आपके द्वारा)
- इंटीग्रेटेड कॉल सेंटर एवं फार्मर ग्रीवेंस (एक कॉल -पूरा समाधान)
- मौसम पूर्वानुमान (अब मिलेगी घर बैठे ही मौसम की पूरी जानकारी)
- घर का अधिकार (राइट टू होम नई उम्मीद नया सपना किसान का घर होगा अब अपना)
- सरकारी नौकरी वाला (अब नौकरी पाना हुआ आसान)
- राष्ट्रीय ग्रामीण संवाद अभियान
- भारत डिजिटल पहचान मिशन (एक भारत एक वेब मिशन)

महिला एवं युवा सहभागितायोजना: महिला स्वयं सहायता समूहों, ग्रामीण युवाओं एवं कृषि उद्यमियों को विशेष प्राथमिकता दी जाती है।इससे:

- ग्रामीण रोजगार बढ़ेगा
- महिला सशक्तिकरण होगा
- स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी

किसान सम्मान नीति

- कैंटीन में किसानों के साथ सम्मानजनक एवं पारदर्शी व्यवहार करना अनिवार्य होता हैं।
- किसी भी किसान के साथ भेदभाव, दुर्व्यवहार अथवा अनुचित व्यवहार स्वीकार्य नहीं होता हैं।

अध्याय-19

शिकायत निवारण, निगरानी एवं पारदर्शिता प्रणाली:ई-अन्नदाता कैंटीन कार्यक्रम में पारदर्शिता एवं जवाबदेही बनाए रखने हेतु बहुस्तरीय शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली लागू की जाती हैं।शिकायत निवारण प्रणाली का उद्देश्य:

- किसानों की समस्याओं का त्वरित समाधान
- पारदर्शिता बनाए रखना
- भ्रष्टाचार एवं अनियमितता रोकना
- सेवा गुणवत्ता सुनिश्चित करना

शिकायत दर्ज करने के माध्यम: किसान निम्न माध्यमों से शिकायत दर्ज कर सकेंगे-

- मोबाइल एप्लीकेशन
- वेबसाइट पोर्टल
- हेल्पलाइन नंबर
- केयर सेंटर

शिकायतों के प्रकार:

- उत्पाद गुणवत्ता शिकायत
- अधिक मूल्य वसूली शिकायत
- सब्सिडी संबंधित शिकायत
- डिलीवरी संबंधित शिकायत
- संचालक व्यवहार शिकायत
- तकनीकी समस्या शिकायत

शिकायत समाधान प्रक्रिया:

- शिकायत पंजीकरण
- शिकायत सत्यापन
- जांच प्रक्रिया
- आवश्यक कार्यवाही
- समाधान रिपोर्ट
- निगरानी प्रणाली

ई-अन्नदाता द्वारा समय-समय पर कैंटीन निरीक्षण, स्टॉक जांच, वित्तीय ऑडिट, सेवा गुणवत्ता परीक्षणडिजिटल रिकॉर्ड कीजांचकी जाती हैं।

पारदर्शिता नीति:

- संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन एवं रिकॉर्ड आधारित होती हैं।
- सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों का डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाती हैं।

अध्याय-20

प्रशिक्षण, मानव संसाधन विकास एवं क्षमता निर्माण प्रणाली: ई-अन्नदाता कैंटीन कार्यक्रम की सफलता के लिए प्रशिक्षित एवं सक्षम मानव संसाधन अत्यंत आवश्यक है। इसी उद्देश्य से कैंटीन संचालकों के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

प्रशिक्षण का उद्देश्य:

- आधुनिक संचालन प्रणाली की जानकारी देना
- डिजिटल प्रबंधन क्षमता विकसित करना
- ग्राहक सेवा गुणवत्ता बढ़ाना
- कृषि उत्पाद जानकारी उपलब्ध कराना
- पारदर्शी संचालन सुनिश्चित करना

प्रशिक्षण के प्रमुख विषय

- तकनीकी प्रशिक्षण
- मोबाइल एप्लीकेशन उपयोग
- डिजिटल बिलिंग
- स्टॉक प्रबंधन
- ऑनलाइन रिपोर्टिंग

प्रशासनिक प्रशिक्षण:

- दस्तावेज प्रबंधन
- रिकॉर्ड रखरखाव
- शिकायत निवारण
- ग्राहक प्रबंधन

कृषि प्रशिक्षण:

- खाद एवं बीज जानकारी
- कृषि यंत्र उपयोग
- जैविक खेती जानकारी
- सरकारी योजनाएं

प्रशिक्षण के माध्यम

- ऑनलाइन वेबिनार
- ऑफलाइन कार्यशाला
- वीडियो मॉड्यूल
- प्रशिक्षण पुस्तिका
- क्षेत्रीय प्रशिक्षण शिविर

क्षमता निर्माण का उद्देश्य: दीर्घकालिक रूप से कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक एवं प्रशिक्षित किसान सेवा नेटवर्क विकसित करना है।

अध्याय-21

रोजगार, स्वरोजगार एवं ग्रामीण आर्थिक विकास:ई-अन्नदाता कैंटीन ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े स्तर पर रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न करने की क्षमता रखती है। यह पहल केवल कैंटीन संचालन तक सीमित नहीं है बल्कि एक व्यापक ग्रामीण आर्थिक नेटवर्क विकसित करने की दिशा में कार्य करती हैं।

- **रोजगार के संभावित क्षेत्र:**
- कैंटीन संचालन
- डिलीवरी सेवाएं
- वेयरहाउस प्रबंधन
- डिजिटल सेवाएं
- केयर सेंटर संचालन
- कृषि सलाह सेवाएं
- तकनीकी सहायता सेवाएं
- ग्रामीण युवाओं के लिए अवसर
- ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षित युवाओं कोडिजिटल संचालन, ग्राहक सेवा, कृषि तकनीक, ई-कॉमर्स प्रबंधनमें रोजगार प्राप्त हो सकेगा।

स्वरोजगार मॉडल: कैंटीन संचालक स्वयं का संगठित व्यवसाय स्थापित कर सकेंगे। इससे-

- स्थानीय आय बढ़ेगी
- ग्रामीण बाजार विकसित होंगे
- आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी
- महिला सशक्तिकरण
- महिला समूहों एवं महिला उद्यमियों को भी इस योजना से जोड़ा जा सकता है।

अध्याय-22

विकसित भारत 2047, डिजिटल इंडिया एवं राष्ट्रीय विकास में योगदान: भारत सरकार द्वारा विकसित भारत 2047 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके अंतर्गत भारत को आर्थिक, सामाजिक एवं तकनीकी रूप से विकसित राष्ट्र बनाना उद्देश्य है। कृषि क्षेत्र का विकास इस लक्ष्य की प्राप्ति में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ई-अन्नदाता कैंटीन कार्यक्रम किसानों को आधुनिक तकनीक, डिजिटल सेवाएं, गुणवत्तापूर्ण सामग्री एवं आर्थिक अवसर प्रदान कर ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने की दिशा में कार्य करती हैं।

- योजना का राष्ट्रीय योगदान
- कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण
- ग्रामीण डिजिटल विकास
- किसान सशक्तिकरण
- रोजगार सृजन
- पारदर्शी वितरण प्रणाली
- स्थानीय अर्थव्यवस्था का विकास
- डिजिटल इंडिया में योगदान

योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में:

- डिजिटल भुगतान
- ऑनलाइन सेवाएं
- ई-कॉमर्स/ क्विक कॉमर्स
- डिजिटल पहचानका विस्तार होगा।

आत्मनिर्भर भारत में योगदान: किसानों को संगठित बाजार एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध होने से कृषि आधारित आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलता हैं।

अध्याय-23

नियम, शर्तें एवं ई-अन्नदाता के अधिकार: ई-अन्नदाता कार्यक्रम संचालन एवं प्रबंधन से संबंधित सभी आवश्यक अधिकार सुरक्षित रहेंगे।

ई-अन्नदाता के प्रमुख अधिकार

- नियमों में संशोधन करना
- निरीक्षण करना
- संचालन रोकना
- पंजीकरण निरस्त करना
- गुणवत्ता जांच कराना
- अनुबंध समाप्त करना
- नई नीतियां लागू करना

संचालक की जिम्मेदारियां

- कैंटीन संचालक कोसभी नियमों का पालन करना होगा
- पारदर्शी संचालन करना होगा
- डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रखना होगा
- किसानों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करना होगा

प्रतिबंधित गतिविधियां

- नकली उत्पाद बिक्री
- अधिक मूल्य वसूली
- ई-अन्नदाता नाम का दुरुपयोग
- गलत जानकारी देना
- बिना अनुमति ब्रांड उपयोग

अध्याय-24

अनुशासनात्मक कार्यवाही, पंजीकरण निरस्तीकरण एवं कानूनी प्रावधान:कार्यक्रम की पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता बनाए रखने हेतु नियम उल्लंघन की स्थिति में कठोर कार्यवाही की जा सकती है।

कार्यवाही के आधार:

- नकली उत्पाद बिक्री
- किसानों से धोखाधड़ी
- वित्तीय अनियमितता
- डिजिटल रिकॉर्ड में गड़बड़ी
- ई-अन्नदाता की छवि को नुकसान पहुंचाना

संभावित कार्यवाही:

- चेतावनी पत्र
- आर्थिक दंड
- स्टॉक जब्ती
- संचालन निलंबन
- पंजीकरण निरस्तीकरण
- कानूनी कार्यवाही
- कानूनी अधिकार

ई-अन्नदाता आवश्यक होने पर संबंधित न्यायालय अथवा प्रशासनिक विभाग में कार्यवाही कर सकती है।

अध्याय-25

निष्कर्ष, भविष्य दृष्टि एवं राष्ट्रीय संदेश:ई-अन्नदाता कैंटीन स्टोर किसानों के आर्थिक, सामाजिक एवं तकनीकी उत्थान की दिशा में एक ऐतिहासिक एवं दूरदर्शी पहल है।यह कार्यक्रम केवल कैंटीन संचालन मॉडल नहीं बल्कि किसान सम्मान, ग्रामीण विकास, डिजिटल भारत एवं आत्मनिर्भर भारत की व्यापक अवधारणा है।इस पहल के माध्यम से किसानों को उनके नजदीकी क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण उत्पाद, सरकारी व गैर-सरकारीयोजनाओं का लाभ, आधुनिक डिजिटल सेवाएं, रोजगार के अवसर एवं पारदर्शी सुविधा प्रणाली उपलब्ध कराई जाती हैं।

ई-अन्नदाता का उद्देश्य किसानों को केवल उपभोक्ता नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण के सम्मानित सहभागी के रूप में स्थापित करना है।जब देश का अन्नदाता आर्थिक, सामाजिक एवं तकनीकी रूप से मजबूत होगा तभी विकसित भारत 2047 का सपना साकार होगा।

"सशक्त अन्नदाता – समृद्ध भारत"

"किसान का सम्मान, राष्ट्र का अभिमान"

"विकसित किसान – विकसित भारत"

भाग-2
महत्वपूर्ण निर्देश

1. भूमि चयन मानक (Land Selection Standard)

1. कैंटीन ऐसी भूमि पर स्थापित किया जाएगा जहाँ वर्षभर सुरक्षित आवागमन संभव हो।
2. भूमि बाढ़, जलभराव एवं नदी कटान प्रभावित क्षेत्र में नहीं होनी चाहिए।
3. कैंटीन मुख्य सड़क अथवा संपर्क मार्ग से जुड़ा होना अनिवार्य होगा।

4. भारी वाहनों की आवाजाही हेतु पर्याप्त सड़क चौड़ाई उपलब्ध होनी चाहिए।
5. भूमि का स्तर आसपास की सड़क से ऊँचा होना चाहिए।
6. भूमि विवादमुक्त एवं वैध दस्तावेजों वाली होनी चाहिए।
7. जल निकासी की स्थायी व्यवस्था उपलब्ध होनी चाहिए।
8. कैंटीन ऐसा स्थान चुनकर स्थापित किया जाएगा जिससे अधिक किसान लाभान्वित हो सकें।
9. भूमि पर वेयरहाउस एवं पार्किंग हेतु पर्याप्त जगह उपलब्ध होनी चाहिए।
10. अत्यधिक भीड़भाड़ वाले क्षेत्र से उचित दूरी बनाए रखना आवश्यक होगा।
11. भूमि तक एम्बुलेंस एवं आपातकालीन वाहन पहुँच सकें यह सुनिश्चित किया जाएगा।
12. भूमि का उपयोग स्थानीय नियमों के अनुरूप होना चाहिए।
13. कैंटीन क्षेत्र में सुरक्षा निगरानी संभव होनी चाहिए।
14. कैंटीन के आसपास बिजली एवं पानी की सुविधा उपलब्ध होना वांछनीय होगा।
15. भूमि निरीक्षण संगठन की स्वीकृति के बाद ही अंतिम माना जाएगा।
16. सड़क किनारे दृश्यता स्पष्ट होना आवश्यक होगा।
17. भूमि पर स्थायी निर्माण की अनुमति उपलब्ध होनी चाहिए।
18. पर्यावरणीय दृष्टि से सुरक्षित क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाएगी।
19. कैंटीन का स्थान किसानों के लिए आसानी से पहचान योग्य होना चाहिए।
20. ई-अन्नदाता आवश्यकता अनुसार भूमि चयन नियमों में संशोधन कर सकता है।

2. Flood Safety Standard (बाढ़ सुरक्षा मानक)

1. कैंटीन किसी भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में स्थापित नहीं किया जाएगा।
2. भवन का फर्श सड़क स्तर से ऊँचा रखा जाएगा।
3. वर्षा जल निकासी हेतु ड्रेनेज सिस्टम अनिवार्य होगा।
4. वेयरहाउस में जल प्रवेश रोकने हेतु सुरक्षा बैरियर बनाए जाएंगे।
5. जलरोधक निर्माण सामग्री का उपयोग किया जाएगा।
6. जलभराव की स्थिति में संचालन अस्थायी रूप से रोका जा सकता है।
7. वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होना आवश्यक होगा।
8. विद्युत उपकरण ऊँचाई पर लगाए जाएंगे।
9. स्टॉक ऊँचे रैक पर सुरक्षित रखा जाएगा।
10. आपदा प्रबंधन टीम गठित की जा सकती है।
11. जल निकासी पाइपलाइन की नियमित सफाई की जाएगी।
12. बाढ़ मौसम में विशेष निरीक्षण किया जाएगा।
13. आवश्यकतानुसार जल निकासी पंप लगाए जा सकते हैं।
14. आपदा सूचना तत्काल मुख्यालय को देना अनिवार्य होगा।
15. कर्मचारियों को आपदा प्रशिक्षण दिया जाएगा।
16. आपातकालीन संपर्क सूची प्रदर्शित होगी।
17. बाढ़ प्रभावित स्टॉक को अलग सुरक्षित किया जाएगा।
18. कैंटीन परिसर में जलभराव रोकना प्रबंधन की जिम्मेदारी होगी।

19. आपदा के समय किसानों की सुरक्षा प्राथमिकता होगी।
20. ई-अन्नदाता समय-समय पर Flood Safety Audit कर सकता है।

3. Warehouse Layout Standard (वेयरहाउस लेआउट मानक)

1. वेयरहाउस सुरक्षित एवं मजबूत निर्माण वाला होगा।
2. खाद्य एवं गैर-खाद्य सामग्री अलग-अलग रखी जाएगी।
3. स्टॉक हेतु मजबूत रैक का उपयोग अनिवार्य होगा।
4. ज्वलनशील सामग्री हेतु पृथक क्षेत्र निर्धारित होगा।
5. वेयरहाउस में वेंटिलेशन उपलब्ध होगा।
6. जल रिसाव एवं नमी रोकने की व्यवस्था होगी।
7. सीसीटीवी निगरानी लागू होगी।
8. अग्निशामक यंत्र उपलब्ध होंगे।
9. डिजिटल स्टॉक रिकॉर्ड रखा जाएगा।
10. एक्सपायर सामग्री अलग सुरक्षित रखी जाएगी।
11. अनधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित होगा।
12. लोडिंग-अनलोडिंग हेतु अलग स्थान होगा।
13. सुरक्षा अलार्म सिस्टम लगाया जा सकता है।
14. तापमान नियंत्रण की व्यवस्था आवश्यकतानुसार लागू की जाएगी।
15. वेयरहाउस में धूम्रपान प्रतिबंधित होगा।
16. नियमित निरीक्षण एवं ऑडिट किया जाएगा।
17. माल की प्राप्ति डिजिटल माध्यम से दर्ज की जाएगी।
18. स्टॉक सत्यापन नियमित रूप से होगा।
19. वेयरहाउस स्वच्छ रखना अनिवार्य होगा।
20. नियम उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी।

4. Bathroom & Sanitation Standard (शौचालय एवं स्वच्छता मानक)

1. महिला एवं पुरुष हेतु अलग शौचालय अनिवार्य होंगे।
2. कर्मचारियों एवं आगंतुकों हेतु पृथक व्यवस्था की जा सकती है।
3. शौचालयों में 24 घंटे पानी उपलब्ध होगा।
4. दैनिक सफाई अनिवार्य होगी।
5. स्नानागार नियमित रूप से साफ किए जाएंगे।
6. दुर्गंध नियंत्रण व्यवस्था लागू होगी।
7. दिव्यांग व्यक्तियों हेतु विशेष सुविधा उपलब्ध होगी।
8. स्वच्छता सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी।
9. कचरा निष्पादन की उचित व्यवस्था होगी।
10. कीट नियंत्रण प्रणाली लागू की जाएगी।
11. फिसलन रोकने हेतु सुरक्षित फर्श का उपयोग होगा।

12. प्रकाश एवं वेंटिलेशन उपलब्ध होगा।
13. जल रिसाव की स्थिति में तत्काल मरम्मत की जाएगी।
14. साफ-सफाई का रिकॉर्ड रखा जाएगा।
15. सफाई कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण दिए जाएंगे।
16. स्वच्छता निरीक्षण किया जाएगा।
17. शौचालय में धूम्रपान प्रतिबंधित होगा।
18. शौचालय क्षेत्र में जलभराव नहीं होना चाहिए।
19. गंदगी फैलाना दंडनीय होगा।
20. स्वच्छता नियमों का पालन अनिवार्य होगा।

5. Vehicle Entry/Exit Rules (वाहन प्रवेश एवं निकास नियम)

1. कैंटीन परिसर में सभी वाहनों का प्रवेश सुरक्षा जांच के पश्चात ही किया जाएगा।
2. मालवाहक एवं निजी वाहनों हेतु अलग प्रवेश मार्ग निर्धारित किए जा सकते हैं।
3. कैंटीन परिसर में निर्धारित गति सीमा का पालन अनिवार्य होगा।
4. बिना अनुमति किसी बाहरी वाहन का प्रवेश प्रतिबंधित होगा।
5. भारी वाहनों हेतु पर्याप्त टर्निंग स्पेस उपलब्ध कराया जाएगा।
6. वाहन पार्किंग केवल निर्धारित क्षेत्र में ही की जाएगी।
7. आपातकालीन मार्ग को अवरुद्ध करना प्रतिबंधित होगा।
8. वाहन प्रवेश एवं निकास सीसीटीवी निगरानी में रहेगा।
9. रात्रिकालीन वाहन प्रवेश का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा।
10. वाहन चालक का पहचान सत्यापन आवश्यक होगा।
11. बिना वैध दस्तावेज वाले वाहनों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
12. डिलीवरी वाहनों हेतु पृथक समय निर्धारित किया जा सकता है।
13. ज्वलनशील सामग्री वाले वाहनों हेतु विशेष अनुमति आवश्यक होगी।
14. सड़क अवरुद्ध करने वाले वाहन पर कार्रवाई की जा सकती है।
15. वाहन चालकों को सुरक्षा नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
16. आपदा की स्थिति में वाहन संचालन अस्थायी रूप से रोका जा सकता है।
17. प्रवेश द्वार पर सुरक्षा गार्ड नियुक्त किए जा सकते हैं।
18. बिना पार्किंग अनुमति वाहन खड़ा करना प्रतिबंधित होगा।
19. डिलीवरी वाहनों का डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाएगा।
20. नियम उल्लंघन पर वाहन प्रवेश अनुमति निरस्त की जा सकती है।

6. Loading-Unloading Zone (लोडिंग एवं अनलोडिंग क्षेत्र मानक)

1. लोडिंग एवं अनलोडिंग हेतु पृथक क्षेत्र निर्धारित किया जाएगा।
2. यह क्षेत्र मुख्य बिक्री क्षेत्र से अलग रखा जाएगा।
3. भारी वाहनों हेतु पर्याप्त जगह उपलब्ध कराई जाएगी।
4. लोडिंग क्षेत्र का फर्श मजबूत एवं समतल होगा।

5. वर्षा से सुरक्षा हेतु शेड व्यवस्था उपलब्ध हो सकती है।
6. माल चढ़ाने एवं उतारने हेतु प्रशिक्षित कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे।
7. सभी स्टॉक का डिजिटल रिकॉर्ड तुरंत अपडेट किया जाएगा।
8. ज्वलनशील सामग्री हेतु पृथक क्षेत्र निर्धारित किया जाएगा।
9. लोडिंग क्षेत्र में अग्निशामक यंत्र उपलब्ध होंगे।
10. अनलोडिंग के समय सुरक्षा उपकरणों का उपयोग अनिवार्य होगा।
11. माल क्षति की स्थिति में रिपोर्ट तैयार की जाएगी।
12. सीसीटीवी निगरानी लागू होगी।
13. अनधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित होगा।
14. रात्रिकालीन लोडिंग हेतु अतिरिक्त सुरक्षा लागू की जा सकती है।
15. लोडिंग क्षेत्र में धूम्रपान पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।
16. स्टॉक सत्यापन के पश्चात ही माल स्वीकार किया जाएगा।
17. लोडिंग-अनलोडिंग के दौरान सड़क अवरोध नहीं होना चाहिए।
18. क्षतिग्रस्त सामग्री को अलग सुरक्षित रखा जाएगा।
19. श्रमिकों हेतु सुरक्षा प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।
20. सुरक्षा नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।

7. Farmer Coverage Radius (किसान कवरेज क्षेत्र मानक)

1. कैंटीन का स्थान ऐसा चयनित किया जाएगा जिससे अधिकतम किसान लाभ प्राप्त कर सकें।
2. कैंटीन दोनों दिशाओं में न्यूनतम 10 से 15 किलोमीटर क्षेत्र को कवर करने में सक्षम होगी।
3. ग्रामीण एवं कस्बाई क्षेत्रों के मध्य स्थित स्थान को प्राथमिकता दी जाएगी।
4. किसान जनसंख्या घनत्व को ध्यान में रखते हुए कैंटीन स्थापना की जाएगी।
5. मुख्य कृषि क्षेत्रों के निकट कैंटीन स्थापित करना वांछनीय होगा।
6. सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध होना आवश्यक होगा।
7. किसानों की औसत यात्रा दूरी न्यूनतम रखने का प्रयास किया जाएगा।
8. सड़क संपर्क एवं आवागमन की स्थिति का पूर्व सर्वेक्षण किया जाएगा।
9. कैंटीन किसानों के लिए आसानी से पहुँच योग्य होनी चाहिए।
10. आवश्यकतानुसार मिनी वितरण केंद्र स्थापित किए जा सकते हैं।
11. अधिक किसान संख्या वाले क्षेत्रों में बड़े कैंटीन मॉडल लागू किए जा सकते हैं।
12. कैंटीन कवरेज क्षेत्र का समय-समय पर मूल्यांकन किया जाएगा।
13. किसानों की प्रतिक्रिया के आधार पर कवरेज सीमा में संशोधन किया जा सकता है।
14. कृषि उत्पादन वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी।
15. दूरस्थ क्षेत्रों हेतु मोबाइल डिलीवरी सुविधा लागू की जा सकती है।
16. कैंटीन से जुड़े गाँवों का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा।
17. लाभार्थी किसानों का क्षेत्रवार डेटा सुरक्षित रखा जाएगा।
18. आवश्यकतानुसार अतिरिक्त वितरण वाहन लगाए जा सकते हैं।

19. किसानों की सुविधा अनुसार संचालन समय निर्धारित किया जा सकता है।
20. ई-अन्नदाता को कवरेज क्षेत्र में परिवर्तन करने का अधिकार होगा।

8. CCTV & Security Protocol (सीसीटीवी एवं सुरक्षा प्रोटोकॉल)

1. कैंटीन परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा।
2. सभी प्रवेश एवं निकास द्वार निगरानी में रहेंगे।
3. वेयरहाउस एवं स्टॉक रूम में अलग सुरक्षा कैमरे लगाए जाएंगे।
4. सीसीटीवी रिकॉर्ड न्यूनतम 90 दिवस तक सुरक्षित रखा जाएगा।
5. रात्रिकालीन निगरानी हेतु नाइट विजन कैमरे लगाए जा सकते हैं।
6. सुरक्षा गार्ड नियुक्त करना आवश्यकतानुसार अनिवार्य किया जा सकता है।
7. अनधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित होगा।
8. आगंतुकों का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा।
9. संदिग्ध गतिविधियों की तत्काल रिपोर्ट मुख्यालय को भेजी जाएगी।
10. सुरक्षा अलार्म प्रणाली लागू की जा सकती है।
11. वेयरहाउस में सुरक्षा लॉकिंग सिस्टम अनिवार्य होगा।
12. डिजिटल मॉनिटरिंग कक्ष स्थापित किया जा सकता है।
13. सुरक्षा उपकरणों की नियमित जांच की जाएगी।
14. रात्रिकालीन सुरक्षा गश्त लागू की जा सकती है।
15. आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।
16. सीसीटीवी रिकॉर्ड में छेड़छाड़ करना दंडनीय होगा।
17. कर्मचारियों को सुरक्षा प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
18. महिला सुरक्षा हेतु विशेष निगरानी क्षेत्र निर्धारित किए जा सकते हैं।
19. सुरक्षा नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।
20. ई-अन्नदाता को किसी भी समय सुरक्षा निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

9. Digital Monitoring SOP (डिजिटल मॉनिटरिंग मानक संचालन प्रक्रिया)

1. सभी कैंटीन ऑनलाइन वेब पोर्टल एवं मोबाइल एप्लीकेशन से जुड़े रहेंगे।
2. स्टॉक, बिक्री एवं वितरण का डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाएगा।
3. प्रत्येक ऑर्डर का ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम लागू होगा।
4. डिजिटल बिलिंग प्रणाली अनिवार्य होगी।
5. शिकायत निवारण हेतु ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध रहेगा।
6. सभी कर्मचारियों की डिजिटल उपस्थिति दर्ज की जा सकती है।
7. दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक रिपोर्ट ऑनलाइन उपलब्ध होगी।
8. रिकॉर्ड गड़बड़ी की स्थिति में डिजिटल अलर्ट जारी होगा।
9. डेटा बैकअप नियमित रूप से सुरक्षित रखा जाएगा।
10. सुरक्षित लॉगिन एवं पासवर्ड प्रणाली लागू होगी।
11. अनधिकृत डेटा एक्सेस प्रतिबंधित होगा।

12. सभी वित्तीय रिकॉर्ड डिजिटल रूप से सुरक्षित रखे जाएंगे।
13. मुख्यालय द्वारा ऑनलाइन निगरानी की जा सकेगी।
14. तकनीकी खराबी की स्थिति में बैकअप प्रक्रिया लागू होगी।
15. कर्मचारियों को डिजिटल संचालन प्रशिक्षण दिया जाएगा।
16. स्टॉक कमी की स्थिति में स्वतः सूचना जारी की जा सकती है।
17. डिलीवरी स्थिति ऑनलाइन अपडेट की जाएगी।
18. साइबर सुरक्षा उपाय लागू किए जाएंगे।
19. सिस्टम अपडेट समय-समय पर किए जाएंगे।
20. ई-अन्नदाता को डिजिटल प्रणाली में संशोधन करने का अधिकार होगा।

10. Fire Safety Norms (अग्नि सुरक्षा मानक)

1. कैंटीन एवं वेयरहाउस में अग्निशामक यंत्र अनिवार्य होंगे।
2. प्रत्येक कर्मचारी को अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण दिया जाएगा।
3. आपातकालीन निकास मार्ग स्पष्ट रूप से चिन्हित होंगे।
4. ज्वलनशील सामग्री हेतु पृथक सुरक्षित क्षेत्र निर्धारित होगा।
5. विद्युत वायरिंग मानक गुणवत्ता की होगी।
6. नियमित विद्युत सुरक्षा निरीक्षण किया जाएगा।
7. अग्नि अलार्म प्रणाली लागू की जा सकती है।
8. गैस सिलेंडर सुरक्षित क्षेत्र में रखे जाएंगे।
9. धूम्रपान निषिद्ध क्षेत्र स्पष्ट रूप से चिन्हित होंगे।
10. अग्निशमन विभाग के संपर्क नंबर प्रदर्शित किए जाएंगे।
11. वेयरहाउस में अग्नि सुरक्षा दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा।
12. अग्निशामक उपकरणों की समय-समय पर जांच की जाएगी।
13. आपात स्थिति हेतु निकासी योजना उपलब्ध होगी।
14. रात्रिकालीन सुरक्षा निरीक्षण किया जा सकता है।
15. ज्वलनशील कचरे का सुरक्षित निष्पादन अनिवार्य होगा।
16. कर्मचारियों हेतु आपदा अभ्यास आयोजित किए जाएंगे।
17. आग लगने की स्थिति में मुख्यालय को तत्काल सूचना देना अनिवार्य होगा।
18. अग्नि सुरक्षा नियमों का उल्लंघन दंडनीय होगा।
19. सुरक्षा संकेतक बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा।
20. ई-अन्नदाता समय-समय पर अग्नि सुरक्षा ऑडिट कर सकता है।

11. Water Drainage System (जल निकासी व्यवस्था मानक)

1. कैंटीन परिसर में स्थायी ड्रेनेज प्रणाली उपलब्ध होगी।
2. वर्षा जल निकासी हेतु पर्याप्त ढलान व्यवस्था बनाई जाएगी।
3. जलभराव रोकना प्रबंधन की जिम्मेदारी होगी।
4. वेयरहाउस क्षेत्र को जल रिसाव से सुरक्षित रखा जाएगा।

5. नालियों की नियमित सफाई अनिवार्य होगी।
6. जल निकासी मार्ग अवरुद्ध करना प्रतिबंधित होगा।
7. आवश्यकतानुसार जल निकासी पंप लगाए जा सकते हैं।
8. बारिश के मौसम में विशेष निरीक्षण किया जाएगा।
9. जल निकासी पाइपलाइन मजबूत गुणवत्ता की होगी।
10. गंदे पानी का सुरक्षित निष्पादन सुनिश्चित किया जाएगा।
11. कैंटीन परिसर में कीचड़ जमा नहीं होना चाहिए।
12. ड्रेनेज सिस्टम का नियमित रखरखाव किया जाएगा।
13. जल निकासी क्षेत्र में कचरा फेंकना प्रतिबंधित होगा।
14. बाढ़ मौसम में अतिरिक्त सुरक्षा उपाय लागू किए जाएंगे।
15. जलभराव की स्थिति में तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।
16. नालियों को ढककर सुरक्षित बनाया जाएगा।
17. कर्मचारियों को ड्रेनेज सुरक्षा निर्देश दिए जाएंगे।
18. सार्वजनिक मार्ग पर पानी बहना प्रतिबंधित होगा।
19. ड्रेनेज निरीक्षण रिपोर्ट तैयार की जाएगी।
20. ई-अन्नदाता समय-समय पर ड्रेनेज ऑडिट कर सकता है।

12. Parking Standard (पार्किंग मानक)

1. ग्राहकों हेतु पृथक पार्किंग क्षेत्र उपलब्ध कराया जाएगा।
2. मालवाहक वाहनों हेतु अलग पार्किंग व्यवस्था होगी।
3. पार्किंग क्षेत्र समतल एवं सुरक्षित होगा।
4. पार्किंग क्षेत्र में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था होगी।
5. आपातकालीन वाहन हेतु अलग स्थान सुरक्षित रखा जाएगा।
6. पार्किंग में सीसीटीवी निगरानी लागू की जा सकती है।
7. पार्किंग क्षेत्र में अवैध कब्जा प्रतिबंधित होगा।
8. पार्किंग मार्ग स्पष्ट रूप से चिन्हित किए जाएंगे।
9. दिव्यांग व्यक्तियों हेतु विशेष पार्किंग सुविधा उपलब्ध हो सकती है।
10. भारी वाहनों हेतु पर्याप्त टर्निंग स्पेस उपलब्ध होगा।
11. पार्किंग क्षेत्र में जलभराव नहीं होना चाहिए।
12. वाहन निर्धारित स्थान पर ही खड़े किए जाएंगे।
13. पार्किंग में धूम्रपान प्रतिबंधित हो सकता है।
14. रात्रिकालीन सुरक्षा व्यवस्था लागू की जाएगी।
15. पार्किंग क्षेत्र की नियमित सफाई की जाएगी।
16. बिना अनुमति वाहन खड़ा करना प्रतिबंधित होगा।
17. पार्किंग रिकॉर्ड डिजिटल रूप से सुरक्षित रखा जा सकता है।
18. सुरक्षा गार्ड नियुक्त किए जा सकते हैं।

19. अव्यवस्थित पार्किंग पर कार्रवाई की जा सकती है।
20. ई-अन्नदाता पार्किंग नियमों में संशोधन कर सकता है।

13. Electricity Backup Rules (बिजली बैकअप नियम)

1. कैंटीन में वैकल्पिक बिजली बैकअप व्यवस्था अनिवार्य होगी।
2. आवश्यकतानुसार जनरेटर उपलब्ध कराया जाएगा।
3. सोलर ऊर्जा प्रणाली लागू की जा सकती है।
4. डिजिटल सिस्टम हेतु अलग बैकअप पावर उपलब्ध होगी।
5. बिजली बाधित होने पर आवश्यक सेवाएँ प्रभावित नहीं होनी चाहिए।
6. बैकअप उपकरणों की नियमित जांच की जाएगी।
7. विद्युत वायरिंग मानक गुणवत्ता की होगी।
8. ओवरलोडिंग प्रतिबंधित होगी।
9. बैकअप ईंधन सुरक्षित स्थान पर रखा जाएगा।
10. विद्युत पैनल सुरक्षित क्षेत्र में लगाए जाएंगे।
11. रात्रिकालीन प्रकाश व्यवस्था अनिवार्य होगी।
12. आपातकालीन लाइट उपलब्ध होगी।
13. बिजली उपकरणों का नियमित रखरखाव किया जाएगा।
14. कर्मचारियों को विद्युत सुरक्षा प्रशिक्षण दिया जाएगा।
15. खराब विद्युत उपकरणों का उपयोग प्रतिबंधित होगा।
16. शॉर्ट सर्किट रोकने हेतु सुरक्षा उपकरण लगाए जाएंगे।
17. बिजली संबंधी शिकायत का तत्काल समाधान किया जाएगा।
18. विद्युत निरीक्षण समय-समय पर किया जाएगा।
19. बैकअप प्रणाली का परीक्षण नियमित होगा।
20. ई-अन्नदाता आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त बैकअप व्यवस्था लागू कर सकता है।

14. महिला सुरक्षा दिशा-निर्देश (Women Safety Guidelines)

1. महिला कर्मचारियों हेतु अलग शौचालय एवं विश्राम कक्ष उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
2. महिला स्टाफ हेतु सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित किया जाएगा।
3. रात्रिकालीन ड्यूटी के दौरान विशेष सुरक्षा व्यवस्था लागू की जाएगी।
4. महिला कर्मचारियों के कार्य क्षेत्र में सीसीटीवी निगरानी उपलब्ध होगी।
5. किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार, उत्पीड़न अथवा अभद्र व्यवहार दंडनीय होगा।
6. महिला शिकायत निवारण समिति गठित की जा सकती है।
7. महिला कर्मचारियों की पहचान एवं गोपनीयता सुरक्षित रखी जाएगी।
8. महिला कर्मचारियों हेतु आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर प्रदर्शित किए जाएंगे।
9. रात्रि में सुरक्षित परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराई जा सकती है।
10. महिला सुरक्षा प्रशिक्षण समय-समय पर आयोजित किए जाएंगे।
11. महिला स्टाफ क्षेत्र में अनधिकृत प्रवेश प्रतिबंधित होगा।

12. महिला सुरक्षा नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
13. कार्यस्थल पर लैंगिक समानता बनाए रखना अनिवार्य होगा।
14. महिला कर्मचारियों को शिकायत दर्ज कराने का अधिकार होगा।
15. महिला सुरक्षा रिकॉर्ड गोपनीय रखा जाएगा।
16. आवश्यकता अनुसार महिला सुरक्षा अधिकारी नियुक्त की जा सकती है।
17. महिला कर्मचारियों की रात्रिकालीन उपस्थिति का रिकॉर्ड रखा जाएगा।
18. महिला सुरक्षा निरीक्षण नियमित रूप से किया जाएगा।
19. महिला स्टाफ हेतु प्राथमिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी।
20. ई-अन्नदाता आवश्यकता अनुसार महिला सुरक्षा नियमों में संशोधन कर सकता है।

15. लाइसेंस निलंबन नियम (License Suspension Rules)

1. गंभीर नियम उल्लंघन की स्थिति में कैंटीन लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है।
2. नकली अथवा अवैध सामग्री पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई होगी।
3. वित्तीय अनियमितता पाए जाने पर संचालन रोका जा सकता है।
4. बार-बार शिकायत प्राप्त होने पर जांच की जाएगी।
5. स्वच्छता मानकों का उल्लंघन निलंबन का आधार हो सकता है।
6. सुरक्षा नियमों की अनदेखी दंडनीय होगी।
7. बिना अनुमति संचालन विस्तार प्रतिबंधित होगा।
8. रिकॉर्ड में हेराफेरी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।
9. डिजिटल डेटा में छेड़छाड़ प्रतिबंधित होगी।
10. ई-अन्नदाता निरीक्षण में सहयोग न करने पर दंड लगाया जा सकता है।
11. लाइसेंस निलंबन पूर्व कारण बताओ नोटिस जारी किया जा सकता है।
12. आपातकालीन स्थिति में तत्काल निलंबन लागू किया जा सकता है।
13. अवैध स्टॉक भंडारण पाए जाने पर लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है।
14. कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार दंडनीय होगा।
15. महिला सुरक्षा नियमों का उल्लंघन गंभीर अपराध माना जाएगा।
16. कर एवं वैधानिक नियमों का पालन अनिवार्य होगा।
17. निलंबन अवधि में संचालन प्रतिबंधित रहेगा।
18. सुधारात्मक कार्रवाई के पश्चात पुनः अनुमति दी जा सकती है।
19. ई-अन्नदाता अंतिम निर्णय लेने हेतु अधिकृत होगा।
20. नियमों के अनुसार कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

16. अनुशासनात्मक कार्रवाई (Disciplinary Action Rules)

1. सभी कर्मचारियों को संगठनात्मक अनुशासन का पालन करना अनिवार्य होगा।
2. कार्यस्थल पर अभद्र व्यवहार प्रतिबंधित होगा।
3. समयपालन अनिवार्य होगा।
4. बिना अनुमति अनुपस्थित रहना अनुशासनहीनता माना जाएगा।

5. भ्रष्टाचार अथवा रिश्वत लेना प्रतिबंधित होगा।
6. ई-अन्नदाता की संपत्ति को नुकसान पहुँचाना दंडनीय होगा।
7. सुरक्षा नियमों का उल्लंघन गंभीर अपराध माना जाएगा।
8. वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
9. रिकॉर्ड में हेराफेरी प्रतिबंधित होगी।
10. स्टॉक चोरी अथवा गबन की स्थिति में कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
11. अनुशासनहीन कर्मचारी को चेतावनी दी जा सकती है।
12. गंभीर स्थिति में आर्थिक दंड लगाया जा सकता है।
13. आवश्यकतानुसार सेवा समाप्ति की जा सकती है।
14. जांच समिति गठित की जा सकती है।
15. कर्मचारियों को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा।
16. महिला सुरक्षा उल्लंघन पर तत्काल कार्रवाई होगी।
17. गोपनीय जानकारी लीक करना प्रतिबंधित होगा।
18. डिजिटल सिस्टम का दुरुपयोग दंडनीय होगा।
19. ई-अन्नदाता को अनुशासनात्मक निर्णय लेने का अधिकार होगा।
20. आवश्यकतानुसार कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

17. निरीक्षण एवं ऑडिट नियम (Inspection & Audit Rules)

1. ई-अन्नदाता को किसी भी समय निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
2. स्टॉक सत्यापन नियमित रूप से किया जाएगा।
3. वित्तीय रिकॉर्ड का ऑडिट अनिवार्य होगा।
4. डिजिटल रिकॉर्ड की जांच की जाएगी।
5. सुरक्षा मानकों का निरीक्षण किया जाएगा।
6. स्वच्छता एवं स्वास्थ्य मानकों की समीक्षा होगी।
7. कर्मचारियों की उपस्थिति रिकॉर्ड जांची जाएगी।
8. सीसीटीवी रिकॉर्ड सत्यापित किया जा सकता है।
9. शिकायतों की स्थिति की समीक्षा की जाएगी।
10. निरीक्षण रिपोर्ट तैयार की जाएगी।
11. कमियों की स्थिति में सुधारात्मक निर्देश जारी किए जाएंगे।
12. पुनः निरीक्षण किया जा सकता है।
13. ऑडिट टीम को आवश्यक रिकॉर्ड उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
14. निरीक्षण में बाधा उत्पन्न करना दंडनीय होगा।
15. गोपनीय रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जाएंगे।
16. वेयरहाउस निरीक्षण नियमित रूप से होगा।
17. अग्नि सुरक्षा ऑडिट समय-समय पर किया जाएगा।
18. डिजिटल सुरक्षा ऑडिट लागू किया जा सकता है।
19. निरीक्षण रिपोर्ट मुख्यालय को भेजी जाएगी।

20. ई-अन्नदाता अंतिम ऑडिट निर्णय लेने हेतु अधिकृत होगा।

18. सदस्यता एवं लाभार्थी नीति (Membership & Beneficiary Policy)

1. ई-अन्नदाता कैंटीन की सदस्यता किसानों एवं पात्र कृषि कर्मियों को प्रदान की जा सकती है।
2. सदस्यता हेतु पहचान एवं आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. सदस्यता आवेदन संगठन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार स्वीकार किए जाएंगे।
4. प्रत्येक सदस्य का डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाएगा।
5. पात्र लाभार्थियों को सदस्यता कार्ड जारी किए जा सकते हैं।
6. सदस्यता कार्ड का दुरुपयोग प्रतिबंधित होगा।
7. लाभ केवल अधिकृत सदस्य अथवा पात्र लाभार्थी को ही प्रदान किए जाएंगे।
8. गलत जानकारी देकर सदस्यता प्राप्त करना दंडनीय होगा।
9. सदस्यता नवीनीकरण समय-समय पर आवश्यक हो सकता है।
10. ई-अन्नदाता आवश्यकता अनुसार सदस्यता शुल्क निर्धारित कर सकता है।
11. विशेष योजनाओं हेतु अलग सदस्यता श्रेणी लागू की जा सकती है।
12. सदस्यता रद्द करने का अधिकार संगठन को सुरक्षित रहेगा।
13. मृत अथवा निष्क्रिय सदस्य का रिकॉर्ड अपडेट करना अनिवार्य होगा।
14. सदस्यता डेटा गोपनीय रखा जाएगा।
15. किसानों को सरकारी एवं गैर-सरकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।
16. लाभार्थियों को प्राथमिकता अनुसार सेवाएँ प्रदान की जा सकती हैं।
17. सदस्यता सत्यापन डिजिटल माध्यम से किया जा सकता है।
18. फर्जी सदस्यता पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।
19. लाभार्थियों की शिकायतों का समाधान प्राथमिकता से किया जाएगा।
20. ई-अन्नदाता सदस्यता नियमों में संशोधन कर सकता है।

19. स्टॉक एवं वितरण SOP (Stock & Distribution SOP)

1. सभी स्टॉक का डिजिटल रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा।
2. स्टॉक प्राप्ति के समय गुणवत्ता जांच की जाएगी।
3. एक्सपायर अथवा क्षतिग्रस्त सामग्री अलग सुरक्षित रखी जाएगी।
4. खाद्य एवं गैर-खाद्य सामग्री का पृथक भंडारण किया जाएगा।
5. स्टॉक वितरण निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होगा।
6. प्रत्येक वितरण का डिजिटल बिल जारी किया जाएगा।
7. स्टॉक सत्यापन नियमित रूप से किया जाएगा।
8. बिना रिकॉर्ड स्टॉक जारी करना प्रतिबंधित होगा।
9. माल प्राप्ति एवं वितरण का समय निर्धारित किया जा सकता है।
10. वितरण प्रक्रिया ऑनलाइन ट्रैकिंग प्रणाली से नियंत्रित होगी।
11. डिलीवरी के दौरान उत्पाद की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।
12. स्टॉक चोरी अथवा गबन की स्थिति में कार्रवाई होगी।
13. खराब सामग्री की रिपोर्ट मुख्यालय को भेजी जाएगी।
14. वेयरहाउस से कैंटीन तक आपूर्ति रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाएगा।

15. उच्च मांग वाली वस्तुओं हेतु अतिरिक्त स्टॉक उपलब्ध कराया जा सकता है।
16. स्टॉक ऑडिट नियमित रूप से किया जाएगा।
17. वितरण में प्राथमिकता किसान हित के अनुसार निर्धारित की जा सकती है।
18. डिजिटल सिस्टम में स्टॉक अपडेट करना अनिवार्य होगा।
19. स्टॉक प्रबंधन हेतु प्रशिक्षित कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे।
20. ई-अन्नदाता समय-समय पर SOP में संशोधन कर सकता है।

20. डिलीवरी बॉय एवं होम डिलीवरी संचालन मानक (Delivery Boy & Home Delivery Rules)

1. सभी डिलीवरी कर्मियों का पंजीकरण अनिवार्य होगा।
2. पुलिस सत्यापन एवं पहचान सत्यापन आवश्यक होगा।
3. डिलीवरी कर्मियों को अधिकृत यूनिफॉर्म पहनना अनिवार्य होगा।
4. वैध ड्राइविंग लाइसेंस के बिना डिलीवरी कार्य की अनुमति नहीं होगी।
5. डिलीवरी वाहन का बीमा एवं पंजीकरण वैध होना चाहिए।
6. हेलमेट एवं सुरक्षा उपकरणों का उपयोग अनिवार्य होगा।
7. समयबद्ध डिलीवरी सुनिश्चित करना आवश्यक होगा।
8. ग्राहक के साथ सम्मानजनक व्यवहार करना अनिवार्य होगा।
9. अतिरिक्त अवैध शुल्क लेना प्रतिबंधित होगा।
10. डिलीवरी की स्थिति डिजिटल रूप से अपडेट की जाएगी।
11. खाद्य सामग्री सुरक्षित एवं स्वच्छ तरीके से पहुँचाई जाएगी।
12. महिला ग्राहकों के प्रति विशेष सुरक्षा व्यवहार अनिवार्य होगा।
13. रात्रिकालीन डिलीवरी हेतु अतिरिक्त सुरक्षा लागू की जा सकती है।
14. डिलीवरी रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाएगा।
15. गलत डिलीवरी की स्थिति में जांच की जाएगी।
16. अनुशासनहीनता की स्थिति में कार्रवाई की जाएगी।
17. डिलीवरी कर्मियों को नियमित प्रशिक्षण दिया जाएगा।
18. डिलीवरी मार्ग का डिजिटल मॉनिटरिंग किया जा सकता है।
19. धोखाधड़ी अथवा चोरी पाए जाने पर सेवा समाप्त की जा सकती है।
20. आवश्यकतानुसार कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

21. आपदा प्रबंधन प्रोटोकॉल (Disaster Management Protocol)

1. कैंटीन में आपदा प्रबंधन योजना लागू होगी।
2. बाढ़, आग एवं भूकंप जैसी आपदाओं हेतु अलग तैयारी रखी जाएगी।
3. कर्मचारियों को आपदा प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
4. आपातकालीन निकास मार्ग स्पष्ट रूप से चिन्हित होंगे।
5. आपातकालीन संपर्क नंबर प्रदर्शित किए जाएंगे।
6. अग्निशामक यंत्र एवं प्राथमिक चिकित्सा किट उपलब्ध होगी।
7. आपदा की स्थिति में स्टॉक सुरक्षा प्राथमिकता होगी।

8. कर्मचारियों की सुरक्षित निकासी सुनिश्चित की जाएगी।
9. आपदा की सूचना तत्काल मुख्यालय को देना अनिवार्य होगा।
10. बिजली बाधित होने की स्थिति में बैकअप व्यवस्था लागू होगी।
11. आपदा के दौरान भीड़ नियंत्रण व्यवस्था लागू की जाएगी।
12. रात्रिकालीन आपदा हेतु विशेष सुरक्षा व्यवस्था होगी।
13. नियमित सुरक्षा अभ्यास आयोजित किए जाएंगे।
14. आपदा प्रभावित क्षेत्र में संचालन अस्थायी रूप से रोका जा सकता है।
15. क्षतिग्रस्त स्टॉक का रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा।
16. सुरक्षा निरीक्षण समय-समय पर किया जाएगा।
17. डिजिटल डेटा बैकअप सुरक्षित रखा जाएगा।
18. राहत एवं सहायता वितरण की व्यवस्था लागू की जा सकती है।
19. आपदा रिपोर्ट तैयार कर मुख्यालय को भेजी जाएगी।
20. ई-अन्नदाता समय-समय पर प्रोटोकॉल में संशोधन कर सकता है।

22. अंतिम प्रावधान (Final Provisions)

1. सभी अधिकृत कैंटीनों हेतु इस नियमावली का पालन अनिवार्य होगा।
2. ई-अन्नदाता को नियमों में संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
3. किसान हित सर्वोच्च प्राथमिकता होगी।
4. सभी संचालन पारदर्शी एवं डिजिटल प्रणाली पर आधारित होंगे।
5. ई-अन्नदाता किसी भी समय निरीक्षण कर सकेगा।
6. नियम उल्लंघन की स्थिति में कार्रवाई की जाएगी।
7. सुरक्षा एवं स्वच्छता मानकों का पालन अनिवार्य होगा।
8. डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रखना आवश्यक होगा।
9. सभी कर्मचारी संगठनात्मक अनुशासन का पालन करेंगे।
10. कैंटीन संचालन किसान सम्मान एवं सेवा भावना पर आधारित होगा।
11. सरकारी नियमों का पालन अनिवार्य होगा।
12. पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी जाएगी।
13. महिला सुरक्षा नियमों का पालन अनिवार्य होगा।
14. ई-अन्नदाता आवश्यकता अनुसार नई नीतियाँ लागू कर सकता है।
15. कैंटीन का उपयोग अवैध गतिविधियों हेतु प्रतिबंधित होगा।
16. सभी शिकायतों का समाधान निर्धारित प्रक्रिया अनुसार किया जाएगा।
17. ई-अन्नदाता अंतिम निर्णय लेने हेतु अधिकृत होगा।
18. यह नियमावली सभी संबद्ध इकाइयों पर लागू होगी।
19. आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त SOP जारी किए जा सकते हैं।
20. ई-अन्नदाता कैंटीन कार्यक्रम किसानों के सम्मान, सुरक्षा एवं आत्मनिर्भरता हेतु संचालित राष्ट्रीय सामाजिक पहल है।

23. कर्मचारी भर्ती एवं प्रशिक्षण नियम (Staff Recruitment & Training Rules)

1. सभी कर्मचारियों की नियुक्ति निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी।
2. कर्मचारियों का पहचान सत्यापन अनिवार्य होगा।
3. पुलिस सत्यापन आवश्यकतानुसार कराया जाएगा।
4. नियुक्ति पूर्व दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा।
5. प्रशिक्षित एवं योग्य व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
6. कर्मचारियों को कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्रशिक्षण दिया जाएगा।
7. डिजिटल सिस्टम संचालन प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।
8. अग्नि सुरक्षा एवं आपदा प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
9. ग्राहक सेवा व्यवहार प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा।
10. महिला सुरक्षा एवं कार्यस्थल आचरण प्रशिक्षण दिया जाएगा।
11. समय-समय पर रिफ्रेशर ट्रेनिंग आयोजित की जाएगी।
12. प्रशिक्षण उपस्थिति रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाएगा।
13. अनुशासनहीन कर्मचारियों पर कार्रवाई की जा सकती है।
14. कर्मचारियों को संगठन की गोपनीय जानकारी सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा।
15. नियुक्ति अनुबंध के नियमों का पालन करना आवश्यक होगा।
16. प्रशिक्षु कर्मचारियों की निगरानी वरिष्ठ अधिकारी करेंगे।
17. कर्मचारी प्रदर्शन मूल्यांकन समय-समय पर किया जाएगा।
18. उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहन दिया जा सकता है।
19. सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों पर दंड लगाया जा सकता है।
20. ई-अन्नदाता भर्ती एवं प्रशिक्षण नियमों में संशोधन कर सकता है।

24. ग्राहक सेवा एवं शिकायत निवारण नियम (Customer Service & Complaint Redressal Rules)

1. किसानों एवं ग्राहकों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करना अनिवार्य होगा।
2. शिकायत निवारण हेतु अलग सहायता काउंटर उपलब्ध कराया जा सकता है।
3. शिकायत दर्ज करने हेतु ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों व्यवस्था उपलब्ध होगी।
4. शिकायतों का समयबद्ध समाधान करना अनिवार्य होगा।
5. शिकायत रिकॉर्ड डिजिटल रूप से सुरक्षित रखा जाएगा।
6. गंभीर शिकायतों की जांच समिति गठित की जा सकती है।
7. ग्राहकों को गलत जानकारी देना प्रतिबंधित होगा।
8. ग्राहक से अतिरिक्त अवैध शुल्क लेना दंडनीय होगा।
9. ग्राहक सेवा कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा।
10. शिकायत समाधान रिपोर्ट मुख्यालय को भेजी जा सकती है।
11. महिला ग्राहकों हेतु विशेष सहायता सुविधा उपलब्ध हो सकती है।
12. वरिष्ठ नागरिक एवं दिव्यांग ग्राहकों को प्राथमिकता दी जा सकती है।
13. शिकायत निवारण प्रक्रिया पारदर्शी होगी।
14. ग्राहकों के साथ अभद्र व्यवहार अनुशासनहीनता माना जाएगा।
15. शिकायत समाधान समयसीमा निर्धारित की जा सकती है।

16. ग्राहक सुझाव प्रणाली लागू की जा सकती है।
17. शिकायत निवारण रिकॉर्ड गोपनीय रखा जाएगा।
18. ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण आयोजित किए जा सकते हैं।
19. शिकायतों की नियमित समीक्षा की जाएगी।
20. ई-अन्नदाता ग्राहक सेवा नियमों में संशोधन कर सकता है।

25. पर्यावरण एवं स्वच्छता संरक्षण नियम (Environment & Cleanliness Protection Rules)

1. कैंटीन परिसर को स्वच्छ एवं प्रदूषण मुक्त रखना अनिवार्य होगा।
2. प्लास्टिक उपयोग कम करने हेतु विशेष प्रयास किए जाएंगे।
3. कचरा पृथक्करण प्रणाली लागू की जाएगी।
4. जैविक एवं अजैविक कचरे का अलग निष्पादन किया जाएगा।
5. वर्षा जल संरक्षण प्रणाली लागू की जा सकती है।
6. वृक्षारोपण को प्रोत्साहित किया जाएगा।
7. परिसर में खुले में कचरा फेंकना प्रतिबंधित होगा।
8. नियमित सफाई अभियान आयोजित किए जा सकते हैं।
9. ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण नियमों का पालन अनिवार्य होगा।
10. रसायनों का सुरक्षित उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा।
11. गंदे पानी का सुरक्षित निष्पादन किया जाएगा।
12. पर्यावरण सुरक्षा निरीक्षण समय-समय पर किया जाएगा।
13. परिसर में धूम्रपान प्रतिबंधित किया जा सकता है।
14. कर्मचारियों को पर्यावरण जागरूकता प्रशिक्षण दिया जाएगा।
15. जल एवं बिजली की बचत को प्रोत्साहित किया जाएगा।
16. प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियाँ प्रतिबंधित होंगी।
17. पर्यावरणीय शिकायतों का समाधान किया जाएगा।
18. स्वच्छता मानकों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाएगा।
19. ई-अन्नदाता पर्यावरण सुरक्षा ऑडिट कर सकता है।
20. आवश्यकता अनुसार पर्यावरण नियमों में संशोधन किया जा सकता है।

26. वित्तीय एवं लेखा प्रबंधन नियम (Financial & Accounting Management Rules)

1. सभी वित्तीय लेन-देन का रिकॉर्ड सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा।
2. डिजिटल भुगतान प्रणाली को प्राथमिकता दी जाएगी।
3. नकद लेन-देन निर्धारित सीमा के अनुसार होंगे।
4. सभी बिक्री का बिल जारी करना अनिवार्य होगा।
5. वित्तीय रिकॉर्ड का नियमित ऑडिट किया जाएगा।
6. बिना अनुमति व्यय करना प्रतिबंधित होगा।
7. बैंकिंग रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाएगा।
8. वित्तीय अनियमितता पाए जाने पर जांच की जाएगी।

9. कर एवं वैधानिक नियमों का पालन अनिवार्य होगा।
10. डिजिटल लेखा प्रणाली लागू की जा सकती है।
11. दैनिक आय एवं व्यय रिपोर्ट तैयार की जाएगी।
12. वित्तीय डेटा गोपनीय रखा जाएगा।
13. अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा भुगतान स्वीकृत किया जाएगा।
14. फर्जी बिलिंग दंडनीय होगी।
15. लेखा कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।
16. वित्तीय दस्तावेज सुरक्षित स्थान पर रखे जाएंगे।
17. बैंक मिलान प्रक्रिया नियमित रूप से की जाएगी।
18. मुख्यालय को समय-समय पर वित्तीय रिपोर्ट भेजी जाएगी।
19. ई-अन्नदाता को वित्तीय निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
20. आवश्यकता अनुसार वित्तीय नियमों में संशोधन किया जा सकता है।

27. आईटी एवं डेटा सुरक्षा नियम (IT & Data Security Rules)

1. सभी डिजिटल डेटा सुरक्षित सर्वर में संग्रहित किए जाएंगे।
2. अनधिकृत व्यक्ति को सिस्टम एक्सेस देना प्रतिबंधित होगा।
3. प्रत्येक उपयोगकर्ता हेतु अलग लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड अनिवार्य होगा।
4. पासवर्ड समय-समय पर बदलना अनिवार्य किया जा सकता है।
5. डेटा बैकअप नियमित रूप से सुरक्षित रखा जाएगा।
6. साइबर सुरक्षा सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाएगा।
7. डिजिटल रिकॉर्ड में छेड़छाड़ दंडनीय होगी।
8. डेटा गोपनीयता बनाए रखना अनिवार्य होगा।
9. ऑनलाइन भुगतान प्रणाली सुरक्षित माध्यम से संचालित होगी।
10. संदिग्ध डिजिटल गतिविधियों की रिपोर्ट तत्काल देना अनिवार्य होगा।
11. कर्मचारियों को साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण दिया जाएगा।
12. बाहरी डिवाइस का उपयोग नियंत्रित किया जा सकता है।
13. डेटा लीक की स्थिति में जांच की जाएगी।
14. सिस्टम लॉग रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जाएंगे।
15. डिजिटल उपकरणों का नियमित रखरखाव किया जाएगा।
16. वायरस एवं मालवेयर सुरक्षा लागू की जाएगी।
17. डिजिटल शिकायत निवारण प्रणाली उपलब्ध होगी।
18. मुख्यालय द्वारा ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा सकेगी।
19. आईटी सुरक्षा ऑडिट समय-समय पर किया जाएगा।
20. ई-अन्नदाता आवश्यकता अनुसार आईटी नियमों में संशोधन कर सकता है।

28. ब्रांडिंग एवं प्रचार-प्रसार नियम (Branding & Promotion Rules)

1. कैंटीन परिसर में अधिकृत लोगो एवं नाम का उपयोग अनिवार्य होगा।
2. बिना अनुमति संगठन के नाम का व्यावसायिक उपयोग प्रतिबंधित होगा।

3. प्रचार सामग्री संगठन द्वारा स्वीकृत प्रारूप में होगी।
4. गलत अथवा भ्रामक प्रचार प्रतिबंधित होगा।
5. सभी बोर्ड एवं साइन एजेंसी मानक अनुसार लगाए जाएंगे।
6. किसान जागरूकता अभियान आयोजित किए जा सकते हैं।
7. डिजिटल प्रचार माध्यमों का उपयोग किया जा सकता है।
8. सोशल मीडिया प्रचार संगठन की अनुमति से किया जाएगा।
9. प्रचार सामग्री में किसान हित सर्वोच्च प्राथमिकता होगी।
10. सरकारी योजनाओं की जानकारी प्रदर्शित की जा सकती है।
11. प्रचार हेतु ध्वनि प्रदूषण नियमों का पालन अनिवार्य होगा।
12. राष्ट्रीय प्रतीकों का अनुचित उपयोग प्रतिबंधित होगा।
13. ब्रांड छवि खराब करने वाली गतिविधियाँ दंडनीय होंगी।
14. ई-अन्नदाता के दिशा-निर्देश अनुसार यूनिफॉर्म उपयोग किया जाएगा।
15. अधिकृत प्रचार वाहन उपयोग किए जा सकते हैं।
16. प्रचार सामग्री का रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाएगा।
17. गलत जानकारी प्रसारित करने पर कार्रवाई की जाएगी।
18. किसान कार्यक्रम एवं शिविर आयोजित किए जा सकते हैं।
19. मुख्यालय को प्रचार गतिविधि रिपोर्ट भेजी जा सकती है।
20. ई-अन्नदाता ब्रांडिंग नियमों में संशोधन कर सकता है।

29. स्वास्थ्य एवं प्राथमिक चिकित्सा नियम (Health & First Aid Rules)

1. कैंटीन परिसर में प्राथमिक चिकित्सा किट उपलब्ध होना अनिवार्य होगा।
2. कर्मचारियों को प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण दिया जाएगा।
3. आपातकालीन चिकित्सा संपर्क नंबर प्रदर्शित किए जाएंगे।
4. खाद्य सामग्री की गुणवत्ता जांच की जाएगी।
5. बीमार कर्मचारियों को चिकित्सकीय सलाह लेना अनिवार्य हो सकता है।
6. स्वच्छ पेयजल सुविधा उपलब्ध होगी।
7. स्वास्थ्य सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे।
8. संक्रामक बीमारी की स्थिति में विशेष सावधानी बरती जाएगी।
9. कर्मचारियों का स्वास्थ्य रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जा सकता है।
10. मेडिकल आपात स्थिति में तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
11. स्वच्छता निरीक्षण नियमित रूप से किया जाएगा।
12. दवाओं का सुरक्षित भंडारण किया जाएगा।
13. भोजन क्षेत्र की नियमित सफाई अनिवार्य होगी।
14. कर्मचारियों को स्वास्थ्य जागरूकता प्रशिक्षण दिया जाएगा।
15. धूम्रपान एवं नशीले पदार्थों का उपयोग प्रतिबंधित होगा।
16. मेडिकल अपशिष्ट का सुरक्षित निष्पादन किया जाएगा।
17. स्वास्थ्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन दंडनीय होगा।

18. आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जा सकते हैं।
19. गंभीर स्वास्थ्य घटना की रिपोर्ट मुख्यालय को भेजी जाएगी।
20. ई-अन्नदाता स्वास्थ्य नियमों में संशोधन कर सकता है।

30. किसान सहायता एवं सेवा केंद्र नियम (Farmer Support & Service Center Rules)

1. किसानों को सरकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।
2. आवेदन एवं पंजीकरण सहायता प्रदान की जाएगी।
3. किसान शिकायत सहायता काउंटर उपलब्ध कराया जा सकता है।
4. कृषि तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।
5. डिजिटल सेवा सहायता केंद्र स्थापित किया जा सकता है।
6. किसानों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जानकारी दी जाएगी।
7. लाभार्थी रिकॉर्ड डिजिटल रूप से सुरक्षित रखा जाएगा।
8. किसान पहचान सत्यापन अनिवार्य होगा।
9. महिला किसानों हेतु विशेष सहायता सुविधा उपलब्ध हो सकती है।
10. वरिष्ठ नागरिक किसानों को प्राथमिकता दी जा सकती है।
11. कृषि उपकरण एवं योजनाओं की जानकारी प्रदर्शित की जाएगी।
12. किसान हेल्पलाइन सुविधा उपलब्ध हो सकती है।
13. सहायता केंद्र में प्रशिक्षित कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे।
14. किसानों के साथ सम्मानजनक व्यवहार अनिवार्य होगा।
15. शिकायत समाधान का रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाएगा।
16. फर्जी लाभार्थी पंजीकरण प्रतिबंधित होगा।
17. किसान जागरूकता शिविर आयोजित किए जा सकते हैं।
18. सहायता सेवाएँ निर्धारित समय अनुसार संचालित होंगी।
19. मुख्यालय को सेवा रिपोर्ट भेजी जा सकती है।
20. ई-अन्नदाता सेवा केंद्र नियमों में संशोधन कर सकता है।

31. संचालन समय एवं कार्य व्यवस्था नियम (Operating Hours & Work Management Rules)

1. कैंटीन संचालन समय संगठन द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
2. निर्धारित समय पर कैंटीन खोलना एवं बंद करना अनिवार्य होगा।
3. रात्रिकालीन संचालन हेतु विशेष अनुमति आवश्यक हो सकती है।
4. कर्मचारियों की ड्यूटी शिफ्ट निर्धारित की जाएगी।
5. समयपालन सभी कर्मचारियों हेतु अनिवार्य होगा।
6. बिना अनुमति कार्यस्थल छोड़ना प्रतिबंधित होगा।
7. अवकाश नियम संगठन द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।
8. आपात स्थिति में अतिरिक्त ड्यूटी लगाई जा सकती है।
9. दैनिक कार्य रिपोर्ट तैयार की जाएगी।
10. रात्रिकालीन सुरक्षा व्यवस्था लागू होगी।
11. ओवरटाइम कार्य का रिकॉर्ड रखा जाएगा।

12. संचालन समय किसानों की सुविधा अनुसार निर्धारित किया जा सकता है।
13. कार्यस्थल अनुशासन बनाए रखना अनिवार्य होगा।
14. संचालन बाधित होने की स्थिति में मुख्यालय को सूचना देना अनिवार्य होगा।
15. कर्मचारियों को विश्राम समय उपलब्ध कराया जाएगा।
16. कार्यस्थल पर धूम्रपान प्रतिबंधित होगा।
17. कार्य समय के दौरान सुरक्षा नियमों का पालन अनिवार्य होगा।
18. संचालन रिकॉर्ड डिजिटल रूप से सुरक्षित रखा जाएगा।
19. निरीक्षण टीम संचालन समय की समीक्षा कर सकती है।
20. ई-अन्नदाता संचालन नियमों में संशोधन कर सकता है।

32. कैंटीन भवन निर्माण मानक (Canteen Building Construction Standards)

1. कैंटीन भवन मजबूत एवं सुरक्षित निर्माण सामग्री से बनाया जाएगा।
2. भवन निर्माण स्थानीय सरकारी मानकों के अनुरूप होगा।
3. कैंटीन भवन में पर्याप्त वेंटिलेशन व्यवस्था उपलब्ध होगी।
4. प्राकृतिक प्रकाश व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाएगी।
5. भवन में आपातकालीन निकास मार्ग अनिवार्य होंगे।
6. फर्श मजबूत एवं फिसलन रहित होगा।
7. भवन में जल रिसाव रोकने की व्यवस्था की जाएगी।
8. छत मजबूत एवं मौसम प्रतिरोधी होगी।
9. भवन में अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य होगा।
10. दिव्यांग व्यक्तियों हेतु रैंप सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है।
11. वेयरहाउस एवं बिक्री क्षेत्र अलग-अलग बनाए जाएंगे।
12. भवन में सुरक्षित विद्युत वायरिंग की जाएगी।
13. शौचालय एवं स्नानागार पृथक बनाए जाएंगे।
14. महिला कर्मचारियों हेतु अलग सुविधा क्षेत्र बनाया जा सकता है।
15. भवन परिसर में स्वच्छ पेयजल सुविधा उपलब्ध होगी।
16. वाहन आवागमन हेतु पर्याप्त प्रवेश मार्ग होगा।
17. भवन निर्माण के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन किया जाएगा।
18. भवन का नियमित रखरखाव करना अनिवार्य होगा।
19. भवन निरीक्षण समय-समय पर किया जा सकता है।
20. ई-अन्नदाता निर्माण मानकों में संशोधन कर सकता है।

33. खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता नियंत्रण नियम (Food Safety & Quality Control Rules)

1. सभी खाद्य सामग्री मानक गुणवत्ता की होगी।
2. एक्सपायर खाद्य सामग्री का विक्रय प्रतिबंधित होगा।
3. खाद्य स्टॉक की नियमित गुणवत्ता जांच की जाएगी।
4. खाद्य सामग्री स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण में रखी जाएगी।

5. खाद्य वितरण में स्वच्छता मानकों का पालन अनिवार्य होगा।
6. कर्मचारियों को खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण दिया जाएगा।
7. खाद्य सामग्री हेतु तापमान नियंत्रण लागू किया जा सकता है।
8. दूषित खाद्य सामग्री अलग सुरक्षित रखी जाएगी।
9. खाद्य भंडारण हेतु अलग वेयरहाउस क्षेत्र निर्धारित होगा।
10. खाद्य पैकेजिंग सुरक्षित एवं मानक अनुसार होगी।
11. ग्राहकों को उत्पाद जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।
12. खाद्य निरीक्षण नियमित रूप से किया जाएगा।
13. खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन दंडनीय होगा।
14. खाद्य सामग्री की ट्रेसबिलिटी रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाएगा।
15. कर्मचारियों हेतु स्वास्थ्य परीक्षण आवश्यक हो सकता है।
16. रसोई अथवा खाद्य क्षेत्र में धूम्रपान प्रतिबंधित होगा।
17. खराब खाद्य सामग्री का सुरक्षित निष्पादन किया जाएगा।
18. खाद्य शिकायतों का तत्काल समाधान किया जाएगा।
19. मुख्यालय को गुणवत्ता रिपोर्ट भेजी जा सकती है।
20. संगठन खाद्य सुरक्षा नियमों में संशोधन कर सकता है।

34. परिवहन एवं लॉजिस्टिक संचालन नियम (Transport & Logistics Management Rules)

1. सभी परिवहन वाहन पंजीकृत एवं वैध दस्तावेज वाले होंगे।
2. माल परिवहन हेतु सुरक्षित वाहन उपयोग किए जाएंगे।
3. परिवहन मार्ग पूर्व निर्धारित किए जा सकते हैं।
4. डिलीवरी समय का पालन अनिवार्य होगा।
5. परिवहन वाहनों की नियमित जांच की जाएगी।
6. ज्वलनशील सामग्री हेतु विशेष सुरक्षा लागू होगी।
7. परिवहन रिकॉर्ड डिजिटल रूप से सुरक्षित रखा जाएगा।
8. वाहन चालकों को सुरक्षा प्रशिक्षण दिया जाएगा।
9. वाहन में GPS ट्रैकिंग लागू की जा सकती है।
10. खराब मौसम में विशेष सावधानी बरती जाएगी।
11. परिवहन के दौरान माल सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।
12. वाहन ओवरलोडिंग प्रतिबंधित होगी।
13. दुर्घटना की स्थिति में तत्काल रिपोर्ट देना अनिवार्य होगा।
14. रात्रिकालीन परिवहन हेतु अतिरिक्त सुरक्षा लागू की जा सकती है।
15. ईंधन उपयोग रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाएगा।
16. बिना अनुमति मार्ग परिवर्तन प्रतिबंधित होगा।
17. परिवहन अनुशासन का पालन अनिवार्य होगा।
18. लॉजिस्टिक संचालन की नियमित समीक्षा की जाएगी।
19. परिवहन शिकायतों की जांच की जाएगी।

20. ई-अन्नदाता लॉजिस्टिक नियमों में संशोधन कर सकता है।

35. यूनिफॉर्म एवं पहचान पत्र नियम (Uniform & Identity Card Rules)

1. सभी कर्मचारियों हेतु अधिकृत यूनिफॉर्म अनिवार्य होगी।
2. पहचान पत्र कार्यस्थल पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।
3. बिना पहचान पत्र कार्य करना प्रतिबंधित होगा।
4. डिलीवरी कर्मियों हेतु अलग यूनिफॉर्म निर्धारित की जा सकती है।
5. यूनिफॉर्म स्वच्छ एवं व्यवस्थित रखना अनिवार्य होगा।
6. पहचान पत्र का दुरुपयोग दंडनीय होगा।
7. सेवा समाप्ति पर पहचान पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।
8. सुरक्षा जांच के समय पहचान पत्र दिखाना आवश्यक होगा।
9. अस्थायी कर्मचारियों हेतु अस्थायी पहचान पत्र जारी किए जा सकते हैं।
10. यूनिफॉर्म में संगठन का लोगो प्रदर्शित किया जा सकता है।
11. महिला कर्मचारियों हेतु सुरक्षित एवं उपयुक्त यूनिफॉर्म उपलब्ध कराई जाएगी।
12. पहचान पत्र खोने की स्थिति में तत्काल सूचना देना अनिवार्य होगा।
13. यूनिफॉर्म नियमों का उल्लंघन अनुशासनहीनता माना जाएगा।
14. सुरक्षा कर्मियों हेतु विशेष पहचान व्यवस्था लागू हो सकती है।
15. आगंतुकों हेतु विजिटर पास जारी किया जा सकता है।
16. यूनिफॉर्म निरीक्षण समय-समय पर किया जाएगा।
17. पहचान रिकॉर्ड डिजिटल रूप से सुरक्षित रखा जाएगा।
18. फर्जी पहचान पत्र बनाना दंडनीय अपराध होगा।
19. ई-अन्नदाता को पहचान नियमों में संशोधन का अधिकार होगा।
20. सभी कर्मचारी सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करेंगे।

36. गोपनीयता एवं सूचना संरक्षण नियम (Confidentiality & Information Protection Rules)

1. ई-अन्नदाता की गोपनीय जानकारी सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा।
2. बिना अनुमति डेटा साझा करना प्रतिबंधित होगा।
3. ग्राहक एवं किसान जानकारी गोपनीय रखी जाएगी।
4. वित्तीय रिकॉर्ड केवल अधिकृत व्यक्तियों को उपलब्ध होंगे।
5. डिजिटल डेटा एन्क्रिप्शन लागू किया जा सकता है।
6. गोपनीय दस्तावेज सुरक्षित स्थान पर रखे जाएंगे।
7. रिकॉर्ड में अनधिकृत बदलाव दंडनीय होगा।
8. कर्मचारियों को गोपनीयता प्रशिक्षण दिया जाएगा।
9. मीडिया को जानकारी जारी करने हेतु अनुमति आवश्यक होगी।
10. डेटा लीक की स्थिति में जांच की जाएगी।
11. गोपनीय दस्तावेज की कॉपी सीमित की जा सकती है।
12. सुरक्षा पासवर्ड साझा करना प्रतिबंधित होगा।

13. ग्राहक शिकायत डेटा सुरक्षित रखा जाएगा।
14. गोपनीय जानकारी का व्यावसायिक उपयोग प्रतिबंधित होगा।
15. सेवा समाप्ति के बाद भी गोपनीयता नियम लागू रहेंगे।
16. साइबर सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य होगा।
17. रिकॉर्ड एक्सेस का लॉग सुरक्षित रखा जाएगा।
18. गोपनीयता उल्लंघन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
19. संगठन समय-समय पर गोपनीयता ऑडिट कर सकता है।
20. आवश्यकता अनुसार सूचना संरक्षण नियमों में संशोधन किया जा सकता है।

37. आपूर्ति एवं खरीद प्रबंधन नियम (Procurement & Supply Management Rules)

1. सभी खरीद अधिकृत आपूर्तिकर्ताओं से की जाएगी।
2. खरीद प्रक्रिया पारदर्शी एवं रिकॉर्ड आधारित होगी।
3. निम्न गुणवत्ता सामग्री की खरीद प्रतिबंधित होगी।
4. सभी खरीद आदेश डिजिटल माध्यम से जारी किए जा सकते हैं।
5. सामग्री प्राप्ति के समय गुणवत्ता जांच अनिवार्य होगी।
6. आपूर्ति में देरी की स्थिति में रिपोर्ट तैयार की जाएगी।
7. खरीद रिकॉर्ड सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा।
8. आपूर्तिकर्ता चयन हेतु मानक प्रक्रिया लागू होगी।
9. नकली अथवा अवैध सामग्री स्वीकार नहीं की जाएगी।
10. आपूर्ति अनुबंध लिखित रूप में किया जा सकता है।
11. वेयरहाउस स्टॉक के अनुसार खरीद योजना बनाई जाएगी।
12. अधिक मांग की स्थिति में अतिरिक्त आपूर्ति की जा सकती है।
13. खरीद एवं आपूर्ति का ऑडिट समय-समय पर किया जाएगा।
14. आपूर्ति वाहनों की सुरक्षा जांच की जाएगी।
15. आपूर्ति रिकॉर्ड डिजिटल रूप से सुरक्षित रखा जाएगा।
16. ज्वलनशील सामग्री हेतु विशेष सुरक्षा लागू होगी।
17. आपूर्तिकर्ताओं को समय-समय पर निर्देश जारी किए जा सकते हैं।
18. भ्रष्टाचार अथवा कमीशनखोरी प्रतिबंधित होगी।
19. ई-अन्नदाता को खरीद प्रक्रिया की समीक्षा करने का अधिकार होगा।
20. आवश्यकता अनुसार खरीद नियमों में संशोधन किया जा सकता है।

38. सामाजिक एवं नैतिक आचरण नियम (Social & Ethical Conduct Rules)

1. सभी कर्मचारियों को सम्मानजनक व्यवहार करना अनिवार्य होगा।
2. जाति, धर्म, भाषा अथवा लिंग आधारित भेदभाव प्रतिबंधित होगा।
3. किसानों के साथ शिष्टाचारपूर्ण व्यवहार किया जाएगा।
4. रिश्वत लेना अथवा देना दंडनीय होगा।
5. कार्यस्थल पर अभद्र भाषा का प्रयोग प्रतिबंधित होगा।
6. महिला सम्मान बनाए रखना अनिवार्य होगा।

7. सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने वाली गतिविधियाँ प्रतिबंधित होंगी।
8. ई-अन्नदाता की छवि खराब करने वाले कार्य दंडनीय होंगे।
9. शराब एवं नशीले पदार्थों का उपयोग प्रतिबंधित होगा।
10. कार्यस्थल पर हिंसात्मक व्यवहार प्रतिबंधित होगा।
11. कर्मचारियों को नैतिक आचरण प्रशिक्षण दिया जा सकता है।
12. गोपनीय जानकारी का दुरुपयोग प्रतिबंधित होगा।
13. ग्राहकों को गलत जानकारी देना अनुचित आचरण माना जाएगा।
14. सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाना दंडनीय होगा।
15. सोशल मीडिया पर गलत प्रचार प्रतिबंधित होगा।
16. कार्यस्थल पर अनुशासन बनाए रखना अनिवार्य होगा।
17. धार्मिक एवं राजनीतिक विवाद उत्पन्न करना प्रतिबंधित होगा।
18. वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों का पालन आवश्यक होगा।
19. नैतिक उल्लंघन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
20. ई-अन्नदाता आवश्यकता अनुसार आचरण नियमों में संशोधन कर सकता है।

39. आपातकालीन प्रतिक्रिया एवं सुरक्षा नियंत्रण नियम (Emergency Response & Security Control Rules)

1. सभी कैंटीनों में आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना उपलब्ध होगी।
2. आपदा की स्थिति में निकासी प्रक्रिया लागू की जाएगी।
3. आपातकालीन अलार्म प्रणाली स्थापित की जा सकती है।
4. प्राथमिक चिकित्सा टीम गठित की जा सकती है।
5. सुरक्षा कर्मियों को आपातकालीन प्रशिक्षण दिया जाएगा।
6. आग, बाढ़ एवं दुर्घटना हेतु अलग SOP लागू होगी।
7. आपातकालीन संपर्क सूची प्रदर्शित की जाएगी।
8. रात्रिकालीन सुरक्षा गश्त अनिवार्य की जा सकती है।
9. सभी निकास मार्ग अवरोध मुक्त रखे जाएंगे।
10. आपातकालीन प्रकाश व्यवस्था उपलब्ध होगी।
11. भीड़ नियंत्रण हेतु विशेष उपाय लागू किए जाएंगे।
12. सुरक्षा उपकरणों की नियमित जांच की जाएगी।
13. आपदा अभ्यास समय-समय पर आयोजित किए जाएंगे।
14. गंभीर घटना की सूचना मुख्यालय को तत्काल देना अनिवार्य होगा।
15. डिजिटल रिकॉर्ड बैकअप सुरक्षित रखा जाएगा।
16. आपात स्थिति में संचालन अस्थायी रूप से रोका जा सकता है।
17. कर्मचारियों को सुरक्षा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
18. बाहरी आपदा एजेंसियों से समन्वय स्थापित किया जा सकता है।
19. सुरक्षा उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी।
20. ई-अन्नदाता समय-समय पर सुरक्षा नियमों में संशोधन कर सकता है।

40. किसान कल्याण एवं सहायता योजना संचालन नियम (Farmer Welfare & Assistance Scheme Rules)

1. किसानों को सरकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।
2. पात्र किसानों को आवेदन सहायता प्रदान की जाएगी।
3. किसान कल्याण शिविर आयोजित किए जा सकते हैं।
4. महिला किसानों हेतु विशेष सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है।
5. वरिष्ठ किसान लाभार्थियों को प्राथमिकता दी जा सकती है।
6. किसानों की समस्याओं का रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाएगा।
7. किसान सहायता सेवाएँ डिजिटल रूप से उपलब्ध कराई जा सकती हैं।
8. प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
9. किसानों को कृषि तकनीकी जानकारी प्रदान की जाएगी।
10. सहायता वितरण प्रक्रिया पारदर्शी होगी।
11. लाभार्थी सत्यापन अनिवार्य होगा।
12. फर्जी लाभार्थियों पर कार्रवाई की जाएगी।
13. किसान शिकायतों का समाधान निर्धारित समय में किया जाएगा।
14. सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जानकारी दी जाएगी।
15. सहायता केंद्र में प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध होंगे।
16. किसानों का डेटा गोपनीय रखा जाएगा।
17. किसान हित सर्वोच्च प्राथमिकता होगा।
18. सहायता सेवाओं की समीक्षा समय-समय पर की जाएगी।
19. मुख्यालय को योजना रिपोर्ट भेजी जाएगी।
20. ई-अन्नदाता आवश्यकता अनुसार सहायता नियमों में संशोधन कर सकता है।

41. कानूनी एवं अनुपालन नियम (Legal & Compliance Rules)

1. सभी कैंटीन सरकारी नियमों एवं कानूनों का पालन करेंगे।
2. आवश्यक लाइसेंस एवं पंजीकरण वैध रखना अनिवार्य होगा।
3. कर नियमों का पालन करना आवश्यक होगा।
4. श्रम कानूनों का पालन अनिवार्य होगा।
5. खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता नियम लागू होंगे।
6. डिजिटल लेन-देन नियमों का पालन किया जाएगा।
7. पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन दंडनीय होगा।
8. रिकॉर्ड निर्धारित अवधि तक सुरक्षित रखा जाएगा।
9. कानूनी नोटिस का समयबद्ध उत्तर देना आवश्यक होगा।
10. अनुबंध नियमों का पालन अनिवार्य होगा।
11. महिला सुरक्षा कानूनों का पालन किया जाएगा।
12. आपूर्ति अनुबंध लिखित रूप में किए जाएंगे।
13. लाइसेंस नवीनीकरण समय पर कराना आवश्यक होगा।
14. कानूनी विवाद की स्थिति में संगठन का निर्णय मान्य होगा।

15. भ्रष्टाचार विरोधी नियम लागू होंगे।
16. डेटा सुरक्षा कानूनों का पालन किया जाएगा।
17. नकली उत्पाद विक्रय प्रतिबंधित होगा।
18. निरीक्षण एजेंसियों को सहयोग देना अनिवार्य होगा।
19. गंभीर उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
20. ई-अन्नदाता आवश्यकता अनुसार अनुपालन नियमों में संशोधन कर सकता है।

42. फ्रेंचाइजी एवं अधिकृत संचालन नियम (Franchise & Authorized Operations Rules)

1. ई-अन्नदाता कैंटीन संचालन केवल अधिकृत इकाइयों द्वारा किया जाएगा।
2. फ्रेंचाइजी स्वीकृति ई-अन्नदाता की अनुमति के पश्चात ही मान्य होगी।
3. सभी फ्रेंचाइजी इकाइयों को ई-अन्नदाता की गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा।
4. बिना अनुमति नाम अथवा लोगो का उपयोग प्रतिबंधित होगा।
5. अधिकृत संचालन क्षेत्र निर्धारित किया जा सकता है।
6. फ्रेंचाइजी रिकॉर्ड डिजिटल रूप से सुरक्षित रखा जाएगा।
7. संचालन गुणवत्ता की नियमित समीक्षा की जाएगी।
8. फ्रेंचाइजी को निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
9. किसान हित सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगा।
10. नियम उल्लंघन की स्थिति में अनुमति निलंबित की जा सकती है।
11. वित्तीय एवं स्टॉक रिकॉर्ड ई-अन्नदाता को उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।
12. फ्रेंचाइजी परिसर का निरीक्षण समय-समय पर किया जाएगा।
13. सेवा गुणवत्ता बनाए रखना अनिवार्य होगा।
14. गलत प्रचार अथवा फर्जी दावे प्रतिबंधित होंगे।
15. सभी डिजिटल लेन-देन रिकॉर्ड सुरक्षित रखना आवश्यक होगा।
16. कर्मचारियों का सत्यापन अनिवार्य होगा।
17. सुरक्षा एवं स्वच्छता मानकों का पालन करना आवश्यक होगा।
18. फ्रेंचाइजी संचालन में पारदर्शिता बनाए रखना अनिवार्य होगा।
19. मुख्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा।
20. ई-अन्नदाता आवश्यकता अनुसार फ्रेंचाइजी नियमों में संशोधन कर सकता है।

43. मीडिया एवं जनसंपर्क नियम (Media & Public Relations Rules)

1. मीडिया से आधिकारिक संवाद केवल अधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जाएगा।
2. ई-अन्नदाता की अनुमति बिना प्रेस बयान जारी करना प्रतिबंधित होगा।
3. गलत अथवा भ्रामक जानकारी प्रसारित करना दंडनीय होगा।
4. किसान हित से संबंधित जानकारी पारदर्शी रूप से साझा की जा सकती है।
5. सोशल मीडिया संचालन निर्धारित दिशा-निर्देश अनुसार होगा।
6. ई-अन्नदाता की छवि खराब करने वाली गतिविधियाँ प्रतिबंधित होंगी।
7. प्रचार सामग्री सत्य एवं प्रमाणित जानकारी पर आधारित होगी।
8. मीडिया कार्यक्रमों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाएगा।

9. विवादास्पद राजनीतिक अथवा धार्मिक बयान प्रतिबंधित होंगे।
10. प्रेस कॉन्फ्रेंस हेतु पूर्व अनुमति आवश्यक हो सकती है।
11. डिजिटल प्रचार में साइबर सुरक्षा नियमों का पालन किया जाएगा।
12. मीडिया शिकायतों का समाधान निर्धारित प्रक्रिया अनुसार किया जाएगा।
13. किसानों की सफलता कहानियाँ प्रचारित की जा सकती हैं।
14. राष्ट्रीय एवं सामाजिक हित को प्राथमिकता दी जाएगी।
15. ई-अन्नदाता का अधिकृत लोगो निर्धारित प्रारूप में उपयोग किया जाएगा।
16. गोपनीय जानकारी सार्वजनिक करना प्रतिबंधित होगा।
17. मीडिया प्रतिनिधियों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जा सकता है।
18. सोशल मीडिया पर अभद्र व्यवहार दंडनीय होगा।
19. मुख्यालय द्वारा मीडिया गतिविधियों की समीक्षा की जा सकती है।
20. ई-अन्नदाता मीडिया नियमों में संशोधन कर सकता है।

44. ऊर्जा संरक्षण एवं हरित संचालन नियम (Energy Conservation & Green Operations Rules)

1. बिजली बचत को प्राथमिकता दी जाएगी।
2. सोलर ऊर्जा प्रणाली लागू की जा सकती है।
3. LED प्रकाश व्यवस्था का उपयोग किया जाएगा।
4. अनावश्यक विद्युत उपकरण चालू रखना प्रतिबंधित होगा।
5. वर्षा जल संरक्षण प्रणाली लागू की जा सकती है।
6. पर्यावरण अनुकूल निर्माण सामग्री को प्राथमिकता दी जाएगी।
7. प्लास्टिक उपयोग कम करने हेतु विशेष प्रयास किए जाएंगे।
8. वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं।
9. जल संरक्षण उपाय लागू किए जाएंगे।
10. ईंधन उपयोग का रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाएगा।
11. प्रदूषण नियंत्रण नियमों का पालन अनिवार्य होगा।
12. जैविक कचरे का सुरक्षित निष्पादन किया जाएगा।
13. हरित परिसर बनाए रखना प्रबंधन की जिम्मेदारी होगी।
14. कर्मचारियों को पर्यावरण जागरूकता प्रशिक्षण दिया जाएगा।
15. ऊर्जा उपयोग की नियमित समीक्षा की जाएगी।
16. प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियाँ प्रतिबंधित होंगी।
17. जल रिसाव की स्थिति में तत्काल मरम्मत की जाएगी।
18. ऊर्जा संरक्षण रिपोर्ट मुख्यालय को भेजी जा सकती है।
19. पर्यावरण सुरक्षा ऑडिट समय-समय पर किया जाएगा।
20. ई-अन्नदाता आवश्यकता अनुसार हरित संचालन नियमों में संशोधन कर सकता है।

45. डिजिटल भुगतान एवं वित्तीय सुरक्षा नियम (Digital Payment & Financial Security Rules)

1. सभी डिजिटल भुगतान सुरक्षित माध्यम से किए जाएंगे।
2. UPI, बैंकिंग एवं कार्ड भुगतान प्रणाली लागू की जा सकती है।

3. नकद लेन-देन का रिकॉर्ड सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा।
4. डिजिटल भुगतान का तुरंत रिकॉर्ड अपडेट किया जाएगा।
5. ग्राहक को भुगतान रसीद उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
6. फर्जी भुगतान अथवा धोखाधड़ी दंडनीय होगी।
7. वित्तीय डेटा गोपनीय रखा जाएगा।
8. अधिकृत व्यक्ति ही भुगतान स्वीकृत कर सकेंगे।
9. डिजिटल भुगतान प्रणाली की नियमित जांच की जाएगी।
10. भुगतान शिकायतों का समयबद्ध समाधान किया जाएगा।
11. साइबर सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य होगा।
12. वित्तीय रिकॉर्ड का बैकअप सुरक्षित रखा जाएगा।
13. भुगतान गड़बड़ी की स्थिति में जांच की जाएगी।
14. OTP एवं पासवर्ड साझा करना प्रतिबंधित होगा।
15. कर्मचारियों को डिजिटल भुगतान प्रशिक्षण दिया जाएगा।
16. भुगतान प्रणाली में अनधिकृत बदलाव प्रतिबंधित होगा।
17. बैंकिंग नियमों का पालन अनिवार्य होगा।
18. डिजिटल भुगतान रिपोर्ट मुख्यालय को भेजी जा सकती है।
19. संदिग्ध लेन-देन की सूचना तत्काल देना अनिवार्य होगा।
20. ई-अन्नदाता भुगतान नियमों में संशोधन कर सकता है।

46. रिकॉर्ड संरक्षण एवं दस्तावेज प्रबंधन नियम (Record Preservation & Documentation Rules)

1. सभी रिकॉर्ड सुरक्षित एवं व्यवस्थित रूप से रखे जाएंगे।
2. डिजिटल एवं भौतिक दोनों प्रकार के रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जा सकते हैं।
3. रिकॉर्ड में अनधिकृत बदलाव प्रतिबंधित होगा।
4. वित्तीय दस्तावेज सुरक्षित स्थान पर रखे जाएंगे।
5. स्टॉक रिकॉर्ड नियमित रूप से अपडेट किया जाएगा।
6. कर्मचारी रिकॉर्ड गोपनीय रखा जाएगा।
7. सदस्यता एवं लाभार्थी रिकॉर्ड डिजिटल रूप से सुरक्षित रखा जाएगा।
8. रिकॉर्ड बैकअप समय-समय पर लिया जाएगा।
9. दस्तावेजों का वर्गीकरण निर्धारित प्रक्रिया अनुसार होगा।
10. निरीक्षण टीम को आवश्यक रिकॉर्ड उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
11. रिकॉर्ड नष्ट करने हेतु निर्धारित प्रक्रिया लागू होगी।
12. गोपनीय दस्तावेज सीमित एक्सेस में रखे जाएंगे।
13. डेटा सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य होगा।
14. दस्तावेजों का सत्यापन नियमित रूप से किया जाएगा।
15. रिकॉर्ड में हेराफेरी दंडनीय होगी।
16. डिजिटल स्कैनिंग एवं संग्रहण प्रणाली लागू की जा सकती है।
17. रिकॉर्ड संरक्षण अवधि ई-अन्नदाता द्वारा निर्धारित की जाएगी।

18. कानूनी दस्तावेज सुरक्षित रूप से संग्रहित किए जाएंगे।
19. मुख्यालय को आवश्यक रिकॉर्ड रिपोर्ट भेजी जा सकती है।
20. ई-अन्नदाता आवश्यकता अनुसार रिकॉर्ड प्रबंधन नियमों में संशोधन कर सकता है।

47. विजिटर एवं आगंतुक प्रबंधन नियम (Visitor & Guest Management Rules)

1. सभी आगंतुकों का प्रवेश रजिस्टर में दर्ज करना अनिवार्य होगा।
2. आगंतुकों की पहचान सत्यापन प्रक्रिया लागू की जा सकती है।
3. बिना अनुमति प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
4. विजिटर पास प्रणाली लागू की जा सकती है।
5. वेयरहाउस क्षेत्र में अनधिकृत प्रवेश प्रतिबंधित होगा।
6. आगंतुकों की गतिविधियाँ सीसीटीवी निगरानी में रह सकती हैं।
7. रात्रिकालीन आगंतुक प्रवेश हेतु विशेष अनुमति आवश्यक होगी।
8. सुरक्षा कर्मियों को आगंतुक सत्यापन प्रशिक्षण दिया जाएगा।
9. संदिग्ध गतिविधियों की तत्काल सूचना मुख्यालय को देना अनिवार्य होगा।
10. महिला आगंतुकों हेतु सुरक्षित सहायता व्यवस्था उपलब्ध कराई जा सकती है।
11. आपातकालीन स्थिति में आगंतुक निकासी प्रक्रिया लागू होगी।
12. आगंतुकों को सुरक्षा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
13. बिना पहचान पत्र के प्रवेश सीमित किया जा सकता है।
14. संवेदनशील क्षेत्रों में मोबाइल फोटोग्राफी प्रतिबंधित हो सकती है।
15. आगंतुक रिकॉर्ड डिजिटल रूप से सुरक्षित रखा जाएगा।
16. सार्वजनिक कार्यक्रमों हेतु अलग प्रवेश व्यवस्था की जा सकती है।
17. सुरक्षा नियम उल्लंघन की स्थिति में प्रवेश प्रतिबंधित किया जा सकता है।
18. भीड़ नियंत्रण हेतु अतिरिक्त सुरक्षा लागू की जा सकती है।
19. आगंतुक शिकायतों का समाधान निर्धारित प्रक्रिया अनुसार किया जाएगा।
20. ई-अन्नदाता विजिटर प्रबंधन नियमों में संशोधन कर सकता है।

48. कर्मचारी कल्याण एवं सुविधा नियम (Employee Welfare & Facility Rules)

1. कर्मचारियों हेतु सुरक्षित एवं स्वच्छ कार्यस्थल उपलब्ध कराया जाएगा।
2. पेयजल एवं शौचालय सुविधा अनिवार्य होगी।
3. कर्मचारियों को विश्राम हेतु निर्धारित क्षेत्र उपलब्ध कराया जा सकता है।
4. महिला कर्मचारियों हेतु पृथक सुविधा क्षेत्र उपलब्ध होगा।
5. आवश्यकतानुसार स्टाफ क्वार्टर उपलब्ध कराए जा सकते हैं।
6. कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे।
7. प्राथमिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी।
8. कर्मचारियों को समय-समय पर प्रशिक्षण दिया जाएगा।
9. उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहन दिया जा सकता है।
10. कर्मचारियों की शिकायत सुनवाई व्यवस्था उपलब्ध होगी।

11. कार्यस्थल पर भेदभाव प्रतिबंधित होगा।
12. कर्मचारी स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किए जा सकते हैं।
13. आपातकालीन सहायता सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है।
14. कर्मचारियों के कार्य समय एवं विश्राम समय का पालन अनिवार्य होगा।
15. कर्मचारियों की गोपनीय जानकारी सुरक्षित रखी जाएगी।
16. अनुशासन बनाए रखना अनिवार्य होगा।
17. कार्यस्थल पर नशीले पदार्थों का उपयोग प्रतिबंधित होगा।
18. कर्मचारी उपस्थिति रिकॉर्ड डिजिटल रूप से सुरक्षित रखा जाएगा।
19. कर्मचारी कल्याण योजनाओं की समीक्षा समय-समय पर की जाएगी।
20. ई-अन्नदाता आवश्यकता अनुसार कर्मचारी कल्याण नियमों में संशोधन कर सकता है।

49. भविष्य विस्तार एवं विकास नीति (Future Expansion & Development Policy)

1. कैंटीन विस्तार किसान आवश्यकता एवं मांग के अनुसार किया जाएगा।
2. नए क्षेत्रों में विस्तार हेतु पूर्व सर्वेक्षण अनिवार्य होगा।
3. विस्तार योजना ई-अन्नदाता की स्वीकृति के पश्चात लागू होगी।
4. डिजिटल सेवाओं का विस्तार समय-समय पर किया जा सकता है।
5. वेयरहाउस क्षमता आवश्यकता अनुसार बढ़ाई जा सकती है।
6. किसान सहायता केंद्रों की संख्या बढ़ाई जा सकती है।
7. नई तकनीक एवं डिजिटल सिस्टम लागू किए जा सकते हैं।
8. पर्यावरण अनुकूल विकास को प्राथमिकता दी जाएगी।
9. महिला एवं युवा किसानों हेतु विशेष योजनाएँ लागू की जा सकती हैं।
10. परिवहन एवं डिलीवरी नेटवर्क का विस्तार किया जा सकता है।
11. प्रशिक्षण एवं कौशल विकास कार्यक्रम बढ़ाए जा सकते हैं।
12. सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थाओं से सहयोग स्थापित किया जा सकता है।
13. भविष्य की आवश्यकताओं अनुसार भवन विस्तार किया जा सकता है।
14. किसान हित सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगा।
15. विस्तार प्रक्रिया पारदर्शी एवं नियम आधारित होगी।
16. सभी नई इकाइयों को संगठन की गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा।
17. डिजिटल मॉनिटरिंग प्रणाली का विस्तार किया जा सकता है।
18. सामाजिक एवं आर्थिक विकास को प्रोत्साहित किया जाएगा।
19. ई-अन्नदाता समय-समय पर विकास नीति की समीक्षा करेगा।
20. ई-अन्नदाता कैंटीन कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को सम्मान, सुविधा एवं आत्मनिर्भरता प्रदान करना होगा।